2nd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड

THDCIL-UJVNL ENERGY COMPANY LIMITED

श्री आर.के. विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल और डॉ. संदीप सिंघल, एमडी, यूजेवीएनएल, 06.03.2023 को टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और श्री भूपेन्द्र गुप्ता, नामित निदेशक टीएचडीसीआईएल 05.12.2023 को उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव-2023 में

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
कॉर्पोरेट सिंहावलोकन	
• निदेशक मंडल	2
• कॉर्पोरेट जानकारी	3
• अध्यक्ष का भाषण	4-5
• मुख्य वित्तीय जानकारी	6-8
• निदेशकों का संक्षिप्त परिचय	9-11
• सूचना	12-15
निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25 और अनुबंध	
• निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25	16-32
• फॉर्म एओसी-2	33
वित्तीय विवरण 2024-25	
• बैलेंस शीट	34-35
• लाभ-हानि विवरण	36-37
• नकद प्रवाह विवरण	38-39
• इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	40-41
• महत्वपूर्ण लेखा नीति	42-57
• लेखा टिप्पणियाँ	58-73
• वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	74-84
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का स्पष्टीकरण	85-86

निदेशक मंडल

श्री आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
(01-12-2023 से अभी तक)

श्री भूपेंद्र गुप्ता
नामित निदेशक
टीएचडीसीआईएल
(01-12-2023 से अभी तक)

श्री सिपन कुमार गर्ग
नामित निदेशक
टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल ऊर्जा कंपनी लिमिटेड
(01-12-2023 से अभी तक)

श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी
नामित निदेशक
टीएचडीसीआईएल
(01-12-2023 से अभी तक)

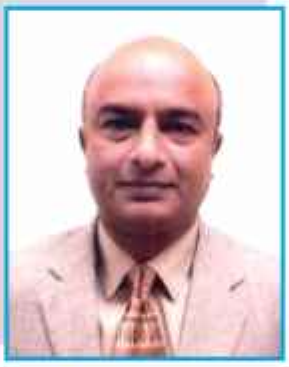

डॉ. संदीप सिंघल
नामित निदेशक
यूजेवीएनएल
(01-12-2023 से अभी तक)

श्री सुरेश चन्द्र बलूनी
नामित निदेशक
यूजेवीएनएल
(01-12-2023 से अभी तक)

कारपोरेट जानकारी

1. पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड- 248001

फोन नंबरः 9012480808

ईमेल आईडीः tuecolimited@thdc.co.in

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री संदीप कुमार

संपर्क सूत्रः 9012480808

ईमेल :sandeepkumar@thdc.co.in

3. मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री एस.के. मोहंती

संपर्क सूत्रः9412961818

ईमेलः smohanty@thdc.co.in

4. कंपनी सचिव (सीएस)

सुश्री साक्षी नेगी

संपर्क सूत्रः 8650927633

ईमेलः shakshinegi@thdc.co.in

5. सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,

19बी, मोहित विहार, कार्मेल स्कूल के पीछे,

जी.एम.एस. रोड, देहरादून-248006

संपर्क सूत्रः 9810153504

ईमेल आईडीः ansulagrawal@gmail.com

6. बैंकर्स

पंजाब नेशनल बैंक

ईसी रोड, देहरादून

अध्यक्ष का भाषण

श्री आर.के. विश्नोई
अध्यक्ष एवं नामित निदेशक

प्रिय शेयरधारकगण,

मैं उत्तरदायित्व एवं गहन आशान्वित भाव के साथ आपके समक्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी यात्रा, यद्यपि अभी भी प्रारंभिक चरण में है, फिर भी प्रतिबद्धता, दृढ़ता और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए एक दृढ़ आधार निर्मित करने के संग्रहित अनुगमन द्वारा परिभाषित होती रहेगी।

पूंजी संरचना और लाभांश

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड़ थी, जो ₹10 प्रति शेयर के 5 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित थी, जबकि अभिदत्त और चुकता पूंजी ₹10 करोड़ पर बनी रही। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड के बीच इक्विटी होल्डिंग क्रमशः 74% और 26% के अनुपात में बनी हुई है।

वित्तीय प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अपनी परियोजनाओं के पोर्टफोलियो में सर्वेक्षण और जाँच के चरण में रही। परिणामस्वरूप, कोई राजस्व दर्ज नहीं किया गया और कंपनी को ₹19.57 लाख की हानि हुई। जब कि इस स्तर पर वित्तीय परिणाम ठीक हैं, लेकिन वे जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं के गर्भकाल की लंबी अवधि को दर्शाते हैं, जिसके लिए निर्माण चरण में आगे की प्रगति से पूर्व व्यापक अध्ययन, स्वीकृतियां और आधारभूत कार्य की आवश्यकता होती है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर एक अनर्ह रिपोर्ट दी है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा न करने का विकल्प चुना है।

प्रचालन प्रदर्शन

उत्तराखंड सरकार ने हमारी कंपनी को तीन जलविद्युत परियोजनाओं और दो पंप भंडारण संयंत्रों के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा।

- **मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट) :**
  पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन में और विस्तृत सर्वेक्षणों के बाद, मूल रूप से आवंटित मोरी-हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट) अपने एकल रूप में आर्थिक रूप से अव्यावहारिक पाई गई। उत्तराखंड सरकार के साथ परामर्श के बाद, **मोरी-हनोल को डाउनस्ट्रीम हनोल-तुइनी जलविद्युत परियोजना** के साथ एकीकृत कर एक मोरी-तुइनी जलविद्युत परियोजना (102 मेगावाट) बनाने पर सहमति हुई। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी गई है, और हम इस एकीकृत परियोजना के साथ आगे बढ़ने को लेकर आशान्वित हैं, जो अब तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

- **उरथिंग सोबला (280 मेगावाट) और बोगुडियार सिरकरी भ्योल (146 मेगावाट) :**
  ये परियोजनाएँ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा

बेसिन में विकास के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अभी भी रुकी हुई हैं। हमने अधिकारियों को बताया है कि संबंधित नदियाँ शारदा की सहायक नदियाँ हैं और गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं हैं। हम आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सकारात्मक समाधान की आशा करते हैं।

पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) :

- **शिवपुरी पंप भंडारण संयंत्र (600 मेगावाट):** पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। तथापि, परियोजना विनियामक प्रतिबंधों के कारण वर्तमान में रुकी हुई है।

- **जसपालगढ़ पीएसपी (630 मेगावाट):** इस परियोजना को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अंचल में स्थित होने के कारण अव्यवहार्य पाया गया। एक वैकल्पिक स्थल, जसपालगढ़ – सतीचौड़ (ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी), को चिन्हित किया गया था, किंतु यह भी राजाजी बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र में आता है, जिससे बड़ी विनियामक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। परिणामस्वरूप, आगे की प्रगति बाधित हुई है।

  इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने उत्तराखंड सरकार से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वैकल्पिक जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाएँ आवंटित करें जहाँ विकास अविलंब आरम्भ किया जा सके।

आगे की राह

हमारी कंपनी स्वच्छ ऊर्जा के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। विनियामक एवं पर्यावरणीय जटिलताओं के बावजूद, हम व्यवहार्य परियोजनाओं को चिन्हित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक चरण में स्थिरता, आर्थिक व्यवहार्यता और हितधारक मूल्य सृजन के साथ संरेखित हो।

आभार

मैं उत्तराखंड सरकार, विद्युत मंत्रालय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, हमारे विजन में उनके विश्वास के लिए अपने शेयरधारकों और हितधारकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

हमारे कर्मचारियों का विशेष धन्यवाद, जिनके समर्पण और दृढ़ता से कंपनी परियोजना विकास के चुनौतीपूर्ण प्रारंभिक चरणों का सामना कर पा रही है। मैं अपने लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।

उपसंहार

हम उत्तराखंड और राष्ट्र के सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने के अपने मिशन में दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे हितधारकों के सहयोग और हमारी टीम के समर्पण से, आने वाले वर्षों में हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखने को मिलेंगी।

शुभकामनाओं सहित,

हस्ता/-

राजीव विश्नोई
अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
टीएचडीसीआईएल-
यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

दिनांकः 24.09.2025
स्थानः देहरादून

मुख्य वित्तीय जानकारी

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.			2024-25	2023-24
क		**राजस्व**		
	1	बिक्री	0.00	0.00
	2	अन्य आय	54.91	0.00
	3	**कुल राजस्व**	**54.91**	**0.00**
ख		**व्यय**		
	4	कर्मचारी लाभ व्यय	82.41	22.26
	5	उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	1.77	41.88
	6	प्रावधान	0.00	0.00
	7	असाधारण मदें		
	8	**कुल व्यय**	**84.18**	**64.14**
	9	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (3-8)**	**(29.27)**	**(64.14)**
	10	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.00	0.00
	11	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (9-10)**	**(29.27)**	**(64.14)**
	12	वित्तीय लागत	0.00	0.00
	13	**विनियामक आस्थगन खाता शेष, असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (11-12)**	**(29.27)**	**(64.14)**
	14	आयकर	0.00	0.00
	15	आस्थगित कर परिसंपत्ति	(9.70)	(14.59)
	16	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व की अवधि के लिए लाभ/(हानि) (13-14-15)**	**(19.57)**	**(49.55)**
	17	विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (आय/(व्यय))		
	18	**निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (16-17)**	**(19.57)**	**(49.55)**
	19	अन्य व्यापक आय		
	20	ओसीआई-आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारी पर आयकर		
	21	**कुल व्यापक आय (18-19-20)**	**(19.57)**	**(49.55)**
ग		**परिसंपत्तियाँ**		
	22	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियाँ (निवल ब्लॉक)	27.31	7.49
	23	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	669.09	180.03
	24	उपयोगाधिकार परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00
	25	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		
	26	आस्थगित कर संपत्तियाँ	24.29	14.59
	27	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (निवल)		
	28	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		

	29	चालू परिसंपत्तियाँ	518.78	1000.25
	30	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	5.49	0.00
	31	विनियामक आस्थगित लेखा का डेबिट शेष		
	32	**कुल परिसंपत्तियाँ**	**1244.96**	**1202.35**
घ		**देनदारियां**		
	33	इक्विटी शेयर पूँजी	1000.00	1000.00
	34	अन्य इक्विटी		
	35	आरक्षित और अधिशेष	(69.12)	(49.55)
	36	अन्य व्यापक आय		
	37	**कुल अन्य इक्विटी (35-36)**	**(69.12)**	**(49.55)**
	38	**निवल संपत्ति (33+37)**	**930.88**	**950.45**
	39	दीर्घकालिक उधारियां		
	40	गैर-चालू पट्टा देनदारियां		
	41	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां और प्रावधान		
	42	अल्पकालिक उधार		
	43	दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता		
	44	दीर्घकालिक पट्टा देनदारी की चालू परिपक्वता		
	45	अन्य वर्तमान देनदारियां	314.08	251.90
	46	**कुल देनदारियां (39 से 45)**	**1244.96**	**1202.35**
	47	नियोजित पूंजी (38 +39 +42 +43-26)	906.59	935.86
	48	लाभांश		
	49	मूल्य वर्धन (9)	(29.27)	(64.14)
	50	कर्मचारियों की संख्या	9.00	9.00
	51	शेयरों की संख्या (सममूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	10000000.00	10000000.00
ङ		**अनुपात**		
	52	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन सहित प्रति शेयर आय (सममूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	(0.20)	(1.49)
	53	वर्तमान अनुपात (29 / (42 +43 +44-45))	(1.65)	(3.97)
	54	ऋण इक्विटी अनुपात ((39 +42 +43) /38)	0.00	0.00
	55	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) ((11 +7) /47)	(0.03)	(0.07)
	56	निवल संपत्ति पर प्रतिफल	(0.02)	(0.05)
	57	प्रचालन से राजस्व में कुल व्यापक आय (21 /1)		
	58	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)-निवल संपत्ति/शेयरों की संख्या(38 /51)	9.31	9.50
	59	प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन (₹ लाख में) (49 /50)	(3.66)	(8.02)
	60	प्रति ेयर लाभांश (₹ में) (10/- रुपये का प्रत्येक शेयर)		

नेटवर्थ बनाम बैलेंस शीट का आकार

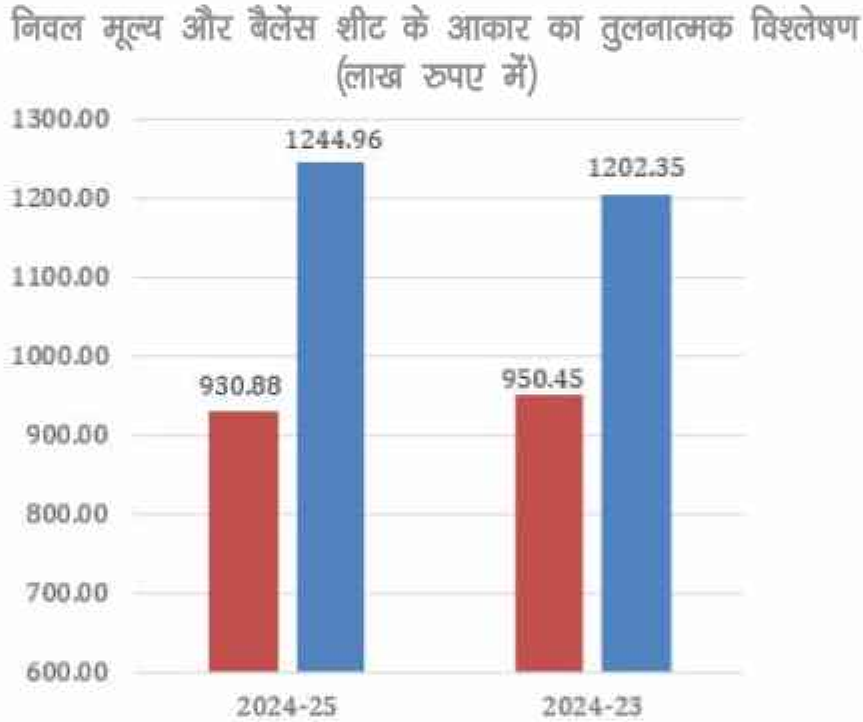

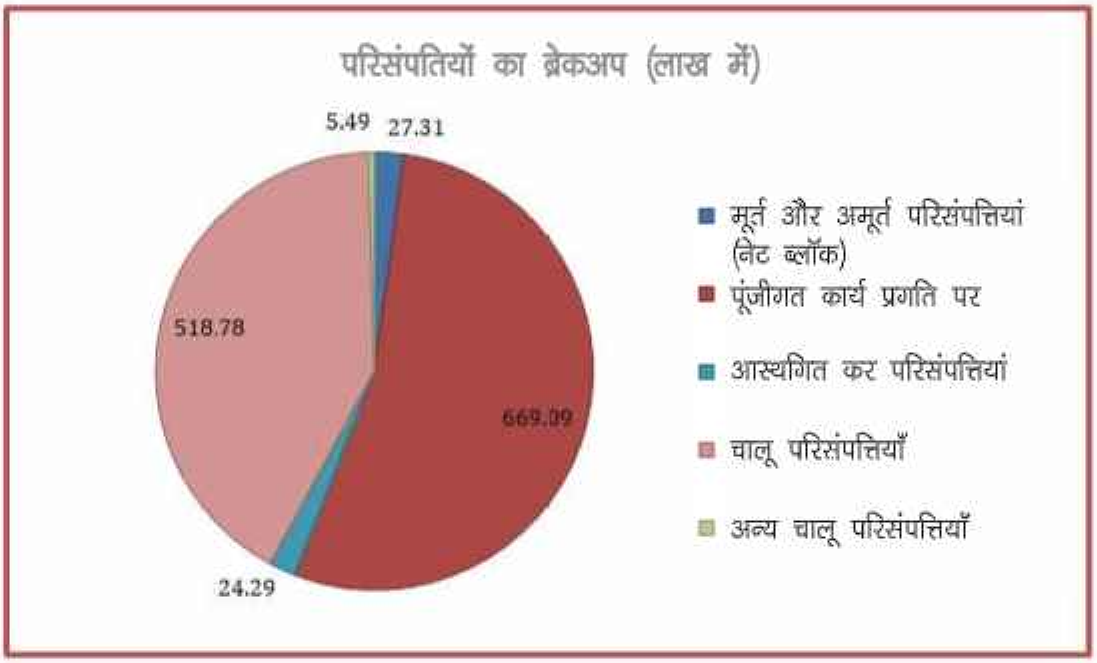

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री राजीव कुमार विश्नोई

अध्यक्ष एवं नामित निदेशक

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने 01 दिसंबर 2023 को टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (टीयूईसीओ) के अध्यक्ष और नामित निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वे 6 अगस्त 2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे 01 सितंबर 2019 से निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत थे। वे बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में ऑनर्स स्नातक हैं और उन्होंने एमबीए की शिक्षा भी प्राप्त की है। उन्होंने रूस के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलिक संरचनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता युक्त कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने एसडीए बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के सहयोग से एएससीआई, हैदराबाद में अग्रणी कार्यनीतिक परिवर्तन में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से अपने नेतृत्व कौशल में और वृद्धि की है। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 38 वर्ष से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ, टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड-पीपलकोटी (444 मेगावाट) जैसी प्रमुख परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जहाँ वे कार्यपालक निदेशक के रूप में भी सेवारत रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, और वे वर्तमान में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स (आईसीओएलडी) के अंतर्गत बांधों की भूकंपीय सुरक्षा संबंधी तकनीकी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें स्पोकेन (अमेरिका), वाशिंगटन डीसी (अमेरिका), सेंट पीटर्सबर्ग (रूस), चेंगदू (चीन), बीजिंग (चीन), पोर्टो कैरस (ग्रीस), अंताल्या (तुर्की), ओटावा (कनाडा), सिंगापुर और नेपाल जैसे कई देशों में मुख्य व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है।

श्री भूपेन्द्र गुप्ता

नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल

श्री भूपेंद्र गुप्ता को 01 दिसंबर, 2023 से टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में 9 जून, 2023 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत हैं और हाल ही में उन्हें 1 मई, 2025 से एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने भूटान में पुनात्सांगछू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) सहित मुख्य नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। इससे पहले, उन्होंने आरईसी की दो सहायक कंपनियों, अर्थात् आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचालन प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य किया। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के निर्माण, परियोजना प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन और परामर्श का पर्यवेक्षण किया। उन्हें लगभग 34 वर्ष का समृद्ध और व्यापक कार्य अनुभव प्राप्त है, जिसमें से उन्होंने लगभग 31 वर्ष तक विद्युत क्षेत्र में कार्य किया है और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, अनुबंध एवं परियोजना प्रबंधन तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और प्रचालन प्रबंधन में एमबीए किया है। उन्होंने वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यग्रहण करने से पूर्व, 12 वर्ष तक एसजेवीएन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जहाँ वे भारत में वर्तमान में प्रचालनरत सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना, 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत संयंत्र के लिए विद्युत-यांत्रिक उपकरणों की आयोजना, निर्माण और कमीशनिंग के लिए उत्तरदायी थे। उन्होंने भूटान में भी 2002 से 2005 तक लगभग तीन वर्ष तक, 1020 मेगावाट ताला जलविद्युत परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया।

श्री सिपन कुमार गर्ग

नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल

श्री सिपन कुमार गर्ग ने 6 सितंबर 2024 को टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (टीयूईसीओ) के बोर्ड में नामित निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वे 17 अगस्त 2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) के पद पर भी कार्यरत हैं। एक अत्यंत कुशल वित्त व्यावसायिक, श्री गर्ग ने वाणिज्य (आनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और वे एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कॉस्ट अकाउंटेंट (सीएमए) और कंपनी सचिव (सीएस) हैं। वे विधि स्नातक (एलएलबी) भी हैं और कंपनी सचिव परीक्षा में रैंक धारक थे। श्री गर्ग विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक प्रचालनों में 24 वर्ष से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ, अपनी भूमिका में गहन वित्तीय अंतर्दृष्टि और कार्यनीतिक नेतृत्व करते हैं। उनकी पूर्व भूमिकाओं में एनटीपीसी लिमिटेड की दोनों समूह कंपनियों, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करना शामिल है। एनटीपीसी में, उन्होंने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जिनमें कार्पोरेट लेखा और कोल्डैम जल विद्युत परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ शामिल हैं। श्री गर्ग ने अपने पूरे कैरियर के दौरान सत्यनिष्ठा, समर्पण और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है और अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए हैं। उनके नेतृत्व में, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की और दीर्घकालिक ऋण ब्याज पर पर्याप्त बचत हासिल की। वित्त समुदाय में एक सक्रिय योगदानकर्ता, श्री गर्ग ने भारत और विदेश में कई सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लिया है। वे लेखांकन मानकों और इंड एएस के संबंध में एक सम्मानित वक्ता हैं और उन्होंने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की कई समितियों में कार्य किया है, जिनमें लोक वित्त और सरकारी लेखांकन समिति, लेखांकन मानक अध्ययन समूह और मेंबर्स इन इंडस्ट्री ग्रुप (पीएसयू) शामिल हैं।

श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी

नामित निदेशक, टीएचडीसीआईएल

श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी ने 01 दिसम्बर, 2023 से टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक का पद ग्रहण किया और वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक (टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने एमएमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक (ऑनर्स) और आईआईटी, रुड़की से जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री जोशी ने विद्युत-यांत्रिक प्रणालियों के डिजाइन और इंजीनियरिंग में व्यापक अनुभव के साथ, टीएचडीसीआईएल की कई चल रही और आगामी जलविद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके उल्लेखनीय योगदानों में टिहरी जलविद्युत परियोजना चरण-I (4x250 मेगावाट) और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) में महत्वपूर्ण कार्यभार शामिल हैं। उनके नेतृत्व में, टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड के टिहरी में भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र की पहली दो इकाइयों (प्रत्येक 250 मेगावाट) को सफलतापूर्वक आरंभ किया। वर्तमान में, वह 1000 मेगावाट टिहरी पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) के लिए ईपीसी अनुबंध का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। वे अरूणाचल प्रदेश में 1750 मेगावाट डेमवे लोअर और 1200 मेगावाट कलाई-II जलविद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावित हस्तांतरण से संबंधित, समाधान योजना तैयार

करने, एनसीएलटी कार्यवाहियों में भागीदारी और अन्य प्रमुख प्रक्रियाओं हेतु उत्तरदायी रहे हैं। श्री जोशी टिहरी एचपीपी (4x250 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (4x100 मेगावाट) दोनों के प्रचालनों का भी नेतृत्व करते हैं। वे गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन, प्रेषण-पूर्व निरीक्षण और कोटेश्वर में बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए विद्युत-यांत्रिक उपकरणों की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनके नेतृत्व में दोनों परियोजनाओं में प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जहाँ वे विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पदस्थ रहे हैं। एक कुशल व्यावसायिक और विषय विशेषज्ञ, श्री जोशी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई शोध पत्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने जर्मनी में कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणालियों और फ्रांस में सुशासन प्रणालियों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के आजीवन सदस्य और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के एसोसिएट सदस्य हैं।

डॉ. संदीप सिंघल

नामित निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड

डॉ. संदीप सिंघल को 01 दिसंबर, 2023 से, टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में यूजेवीएन लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और वित्त में एमबीए हैं और उन्होंने देहरादून स्थित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से विद्युत प्रबंधन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें विद्युत क्षेत्र में 36 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें भारत और भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं के अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक विकास के लिए समर्पित 35 वर्ष शामिल हैं। उनके व्यापक कैरियर में एनएचपीसी में लगभग 23 वर्ष और यूजेवीएन लिमिटेड में 12 वर्ष की सेवा शामिल है।

श्री सुरेश चंद्र बलूनी

नामित निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड

श्री सुरेश चंद्र बलूनी को 01 दिसंबर, 2023 से, टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में यूजेवीएन लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, वे यूजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यरत हैं। श्री बलूनी को यूजेवीएन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर 36 वर्ष से अधिक का समृद्ध और व्यापक कार्य अनुभव प्राप्त है। उनके नेतृत्व में, यूजेवीएन लिमिटेड ने विगत चार वर्षों में कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आरंभ किया है। इनमें व्यासी एलएचपी (120 मेगावाट), कालीगंगा-I एसएचपी (4 मेगावाट), कालीगंगा एसएचपी-II (4.5 मेगावाट), और कैनाल बैंक और कैनाल टॉप जैसी सौर परियोजनाएं शामिल हैं।

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल
एनर्जी कंपनी लिमिटेड
(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)
सीआईएनः यू35101यूटी2023जीओआई016550
पंजीकृत कार्यालयः 26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों के संचालन के लिए टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) अल्पावधि नोटिस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से 24 सितम्बर, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्यः

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना और इस संबंध में, विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

   "**संकल्प लिया जाना है कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण और साथ ही लेखा नीतियों के हिस्से के रूप में सभी अनुसूचियों और अनुबंधों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित नकद प्रवाह विवरण और बैठक के समक्ष रखे गए सभी अनुबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

2. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में, विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :**

   "**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

3. **श्री सुरेश चंद्र बलूनी, (डीआईएन : 08511540) जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर, स्वयं की पुनः नियुक्ति चाहते हैं, के स्थान पर उनकी निदेशक के रूप में नियुक्ति करना तथा इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो, संशोधन सहित या उसके बिना, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

> "**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री सुरेश चंद्र बलूनी, (डीआईएन : 08511540) जो इस बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है।"

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./
(साक्षी नेगी)
कंपनी सचिव
मोबाइलः 8650927633

प्रतिः

- टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सभी शेयरधारक।
- टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सभी निदेशक।
- सांविधिक लेखा परीक्षक - एम/एस अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट।

दिनांकः 18.09.2025
स्थानः ऋषिकेश

टिप्पणियां:

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 2023 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, 19 सितंबर, 2024 के अपने सामान्य परिपत्र द्वारा, बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"/"बैठक") के आयोजन की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का मान्य स्थल होगा।
2. वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001 में संचालित मानी जाएगी, जो वार्षिक आम बैठक का मान्य स्थल होगा। चूँकि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतएव इस सूचना में रूट मैप संलग्न नहीं है।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतएव शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा एजीएम के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और अतएव प्रतिनिधि प्रपत्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।
4. चूँकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतएव शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।
5. कॉर्पोरेट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी को, अपने प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें। उक्त संकल्प/प्राधिकार कंपनी को उसके पंजीकृत ईमेल पते shakshinegi@thdc.co.in पर ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।
6. वार्षिक आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी को shakshinegi@thdc.co.in पर ईमेल के माध्यम से 21 सितम्बर, 2025 को या उससे पहले लिखें। कंपनी द्वारा इसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।
7. चूँकि वार्षिक आम बैठक अल्पावधि नोटिस पर बुलाई गई है, अतएव इस सूचना के साथ अल्पावधि नोटिस की सहमति हेतु प्रारुप संलग्न है।
8. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत हैं।
9. अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति की गणना के प्रयोजन के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना की जाएगी।
10. कंपनी का निर्दिष्ट ईमेल shakshinegi@thdc.co.in है। शेयरधारक किसी भी जानकारी के लिए shakshinegi@thdc.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
11. अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, सूचना में

प्रस्तावित संकल्प बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा।

12. यथा संशोधित, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 35 (संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20(2) के अनुसार, कंपनियों को अपने शेयरधारकों को सरकारी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति है।

13. वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशक के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों द्वारा यथा अपेक्षित अतिथि जानकारी सूचना के अनुबंध पर दी गई है और अनुबंध I के रूप में चिह्नित की गई है।

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रियाः

इस सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण के लिए इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक उपलब्ध रहेंगे। अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत अनुरक्षित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित निदेशकों की रुचि के अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, और सूचना में उल्लिखित संबंधित दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्टॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। जो सदस्य ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी को shakshinegi@thdc.co.in पर ईमेल भेजें।

सदस्यों द्वारा मतदानः

चूंकि सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, अतः सदस्यों को एजीएम में हाथ उठाकर अपना मत देना होगा। तथापि, यदि एजीएम में मतदान की मांग की जाती है, तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे मतदान के अपने निर्णय की ई-मेल कंपनी की निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर भेजें।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त **अनुबंध-I**

निदेशक का नाम	श्री सुरेश चंद्र बलूनी
आयु	61 वर्ष
जन्म तिथि	01.08.1964
नियुक्ति तिथि	01.12.2023
अनुभव	36+ वर्षो का व्यापक एवं समृद्ध अनुभव
अन्य कंपनियों/मंचों में निदेशक पद/केएमपी	2
अन्य कंपनियों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (धारा 8 कंपनियों, विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों को छोड़कर)	लागू नहीं
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	01
अन्य निदेशकों के साथ संबंध	निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	3 (तीन)
पारिश्रमिक	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु उत्तरदायी

निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी के कामकाज से संबंधित द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनीः अब तक का सफर

1. टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड (यूजेवीएनएल) ने उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए दिनांक 06.03.2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

टीएचडीसीआईएल के सीएमडी श्री आर.के. विश्नोई और यूजेवीएनएल के एमडी डॉ. संदीप सिंघल टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

2. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार, देहरादून की उपस्थिति में निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसीआईएल और प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल द्वारा दिनांक 23.10.2023 को संयुक्त उद्यम करार सह शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

संयुक्त उद्यम करार सह शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए

3. टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को 1 दिसंबर 2023 को सीआईएन यू 35101 यूटी 2023 जीओआई 016550 द्वारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया, जिसकी अधिकृत पूंजी 50,00,00,000 रुपये और चुकता पूंजी 10,00,00,000 रुपये है, जिसका अंशदान दोनों प्रमोटरों, अर्थात् टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा क्रमशः 74:26 के अनुपात में किया जाना है।
4. उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने, दिनांक 05.12.2023 को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव-2023 के दौरान, टीएचडीसी आईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को उत्तराखंड में कुल 1719 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाओं और दो पीएसपी के विकास और कमीशनिंग का उत्तरदायित्व सौंपा है।
   (1) पुनगढ़-मटियाला पीएसपी योजना (600 मेगावाट)
   (2) जसपालगढ़ पीएसपी (630 मेगावाट)
   (3) उरथिंग सोबला एचईपी (280 मेगावाट)
   (4) मोरी तुइनी एचईपी (63 मेगावाट)
   (5) बोगुडियार सिरकरिभ्योल जलविद्युत परियोजना (146 मेगावाट)

माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और श्री भूपेन्द्र गुप्ता, नामित निदेशक टीएचडीसीआईएल दिनांक 05.12.2023 को उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव-2023 में

वित्तीय प्रदर्शन

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष (राशि लाख रुपए में)	31 मार्च 2024 का समाप्त वर्ष (राशि लाख रुपए में)
टर्नओवर	0.00	0.00
सकल लाभ (पीबीआईटी)	(29.27)	(64.14)
कुल व्यापक आय/हानि	(19.57)	(49.55)
इक्विटी शेयर पूंजी	1000.00	1000.00
निवल संपत्ति	930.88	950.45
नियोजित पूंजी	906.59	935.86
लाभांश	0.00	0.00
वर्तमान अनुपात	1.67	3.97
ऋण इक्विटी	0.00	0.00

कंपनी कार्यों की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष में, कंपनी ने अपना व्यवसाय आरंभ कर दिया है और कंपनी की सभी परियोजनाएँ सर्वेक्षण और जाँच के चरण में हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को ₹19.57 लाख की हानि हुई।

प्रचालन प्रदर्शन

टीयूईसीओ को आवंटित जल विद्युत परियोजनाओं की **स्थिति**: उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 05.12.2023 के पत्र द्वारा टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को तीन जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) आवंटित की :

1. **उत्तरकाशी में मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट)**
2. **पिथौरागढ़ में उरथिंग सोबला जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट)**
3. **पिथौरागढ़ में बोगुडियार सिरकारी भ्योल जलविद्युत परियोजना (146 मेगावाट)**

1) उत्तरकाशी में मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट):

मोरी-हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड (टीसीई लिमिटेड) को अवार्ड किया गया है। साथ ही, परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंध योजना (ईएमपी) अध्ययन मेसर्स वापकोस लिमिटेड को सौंपा गया है। यह परियोजना गोविंद वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आती है। सर्वेक्षण और जाँच की अनुमति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल के माध्यम से मांगी गई थी और वन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया था। पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

वापकोस ने परियोजना स्थल पर प्रथम सीजन के मानसून-पूर्व आधारभूत अध्ययन पूरे कर लिए हैं, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन शामिल है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, परिवेश पोर्टल के माध्यम से परियोजना के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) आवेदन प्रस्तुत किया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना 2006 (अप्रैल 2015 में जारी) के अनुपालन में,"अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के बीच जलाशय के शीर्ष से टेल रेस सुरंग तक न्यूनतम 1 किमी की दूरी बनाए रखी जाए।" एसजेवीएनएल द्वारा प्रचालित अपस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना नैटवाड़-मोरी (60 मेगावाट) से 1 किमी के मुक्त प्रवाह खंड की इस अपेक्षा का पालन करने के लिए, मोरी जलविद्युत परियोजना के बैराज का स्थान 2 किमी से अधिक डाउनस्ट्रीम में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण काफी हेड लॉस हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना के लिए आरंभ में अनुमानित 63 मेगावाट विद्युत क्षमता कम हो गई है और अब यह 58 मेगावाट मूल्यांकित की गई है। इसी प्रकार, यह शर्त यूजेवीएनएल को आवंटित डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना हनोल-तुइनी (60 मेगावाट) पर भी लागू है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का यह भी कथन है कि "नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखा जाए, जो मौसमी रूप से नदी के प्रवाह के 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच बदलता रहता है।" इस अपेक्षा का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप इन जलविद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में और कमी आई है, क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए कम पानी उपलब्ध है। उपर्युक्त निर्धारित शर्तों के अनुपालन में, मेसर्स टीसीई द्वारा मोरी-हनोल जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट से संशोधित कर 58 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रथम परामर्श अध्याय प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तावित टैरिफ का मूल्यांकन किया गया है और यह लगभग ₹9.04 प्रति किलोवाट घंटा अनुमानित है, जो आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया है। डाउनस्ट्रीम मोरी-तुइनी परियोजना के लिए भी इसी प्रकार की आर्थिक अव्यवहार्यता देखी गई है। अतएव, टीएचडीसीआईएल ने सचिव (ऊर्जा) से दोनों जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् मोरी-हनोल और हनोल-तुइनी जलविद्युत परियोजनाओं को टोंस नदी पर एक ही जलविद्युत परियोजना मोरी-तुइनी में एकीकृत करने का अनुरोध किया।

दिनांक 15.01.2025 को आयोजित बैठक में, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार ने मोरी-हनोल एचईपी और डाउनस्ट्रीम हनोल-तुइनी (वर्तमान में यूजेवीएनएल को आवंटित) की एक एकीकृत जलविद्युत परियोजना के रूप में विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति व्यक्त की ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। तदनुसार, यूजेवीएनएल की ओर से मेसर्स कन्वोल्यूशन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी (सीईसी) द्वारा एकीकृत योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मेसर्स सीईसी द्वारा तुइनी में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और पावर हाउस के स्थान को अंतिम रूप दिया गया है और इसमें मोरी हनोल के स्थलाकृतिक सर्वेक्षण को मिला दिया गया है। मेसर्स सीईसी द्वारा मोरी-तुइनी जलविद्युत परियोजना के एकीकरण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे आगे के मूल्यांकन के लिए उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। मोरी-तुइनी एचईपी की क्षमता 102 मेगावाट होगी, जिसका अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 432.43 मिलियन यूनिट (एमयू) होगा। पूर्ण परियोजना की लागत (वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज और वित्तीय सेवा शुल्क आदि सहित) ₹138578.99 लाख अनुमानित है। उत्पादित विद्युत के लिए अपेक्षित स्तरीकृत टैरिफ लगभग ₹7.26 प्रति यूनिट है

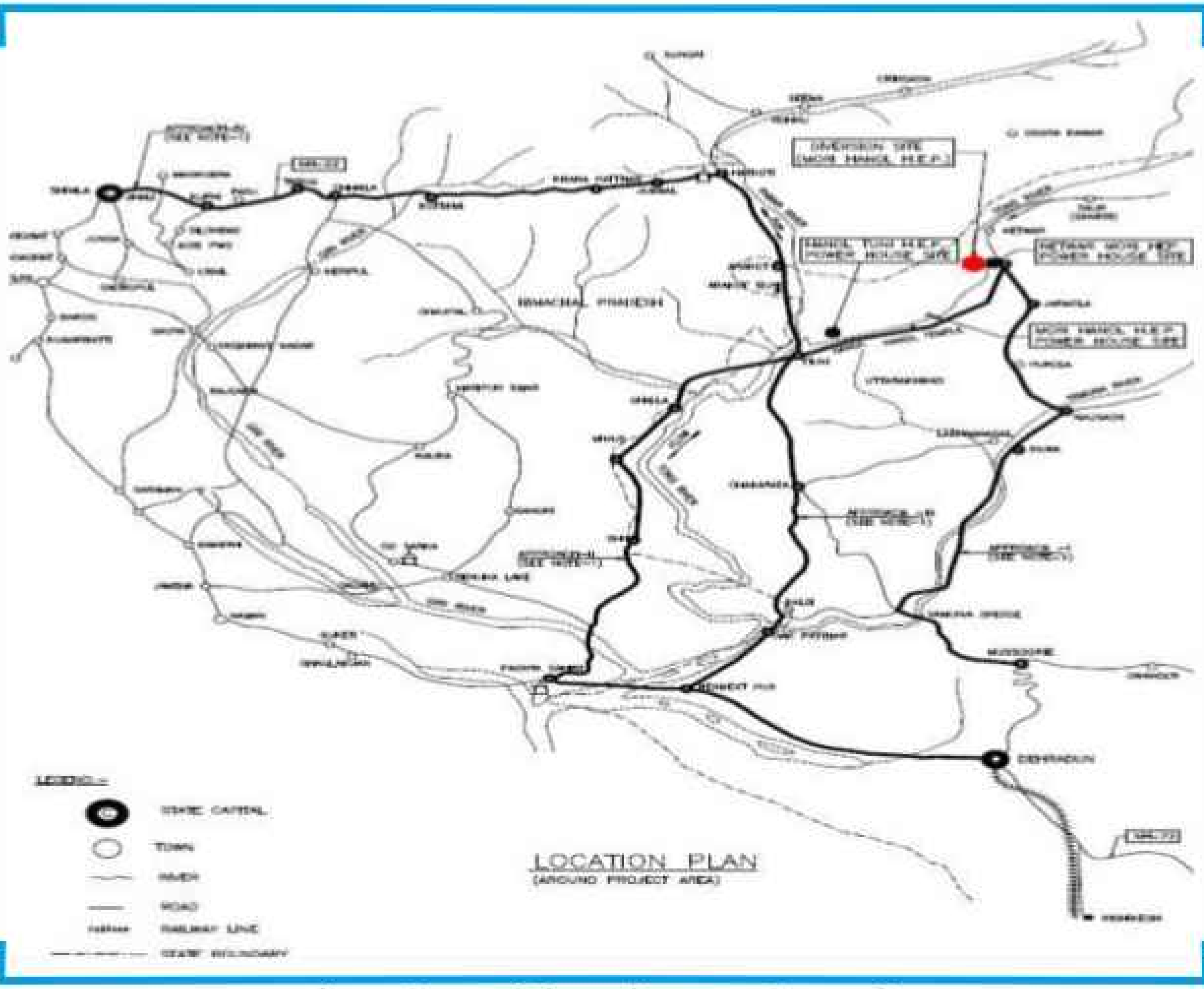

टोंस नदी पर परियोजनाओं का स्थलीय मानचित्र

वाप्कोस परामर्शदाता वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हुए

मेसर्स टीसीई लिमिटेड द्वारा ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर

मोरी–हनोल एचईपी के बैराज का दृश्य

मोरी–हनोल एचईपी का सतही विद्युत गृह

2) उर्थिंग सोबला जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट): धौलीगंगा पर और बोगुडियार सिरकारी भ्योल जल विद्युत परियोजना (146 मेगावाट): गौरीगंगा पर

ये दोनों परियोजनाएँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा/गौरीगंगा नदियों पर स्थित हैं। दोनों परियोजनाओं को जल शक्ति मंत्रालय के दिनांक 24.01.2019 के पत्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रोक दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि, "यह मंत्रालय उत्तराखंड के गंगा बेसिन में किसी अन्य जलविद्युत परियोजना के निर्माण के पक्ष में नहीं है।" जबकि ये परियोजनाएँ न तो उत्तराखंड की 23 प्रतिबंधित परियोजनाओं में सूचीबद्ध हैं और न ही सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन हैं।

इस संदर्भ में, टीएचडीसीआईएल ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव से यह कहते हुए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने का अनुरोध किया कि "धौलीगंगा और गौरीगंगा नदियाँ शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो पिथौरागढ़ जिले के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में हैं, और उत्तराखंड राज्य में गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उत्तराखंड के गंगा बेसिन के बाहर नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के विकास पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।" परियोजना पर आगे की गतिविधि आवश्यक निर्देश या स्वीकृतियां प्राप्त होते ही फिर से आरंभ की जाएगी।

टीयूईसीओ को आवंटित पीएसपी की स्थिति:

उत्तराखंड सरकार ने 5 दिसंबर, 2023 के पत्र द्वारा निम्नलिखित दो स्व-चिह्नित पंप भंडारण संयंत्रों (पीएसपी) के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य आरंभ करने हेतु सहमति प्रदान की:

1. टिहरी-गढ़वाल में पुणगढ़-मटियाला पंप भंडारण संयंत्र (600 मेगावाट)।
2. पौडी-गढ़वाल, उत्तराखंड में जसपालगढ़ पंप भंडारण संयंत्र (630 मेगावाट)।

1) पुणगढ़-मटियाला का नाम 'शिवपुरी पंप भंडारण संयंत्र' (600 मेगावाट):

मेसर्स टीसीई द्वारा शिवपुरी पंप भंडारण परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई और 24 मार्च को टीएचडीसीआईएल को प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित ऊपरी बाँध चमोल गाड नदी पर स्थित है और प्रस्तावित निचला बाँध गंगा नदी की सहायक नदी हियुनी/हेनवल पर स्थित है। सीईए की सलाह के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय के दिनांक 24.01.2019 के पत्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आधार पर पीएसपी को रोककर रखा गया है। परियोजना पर आगे की गतिविधियाँ आवश्यक निर्देश या स्वीकृतियां प्राप्त होते ही पुनः आरंभ की जाएँगी।

2) उत्तराखंड के पौडी-गढ़वाल में जसपालगढ़ पंप भंडारण संयंत्र (630 मेगावाट):

जसपालगढ़ पंप भंडारण संयंत्र की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट मेसर्स टीसीई द्वारा तैयार की गई है। पीएफआर का निष्कर्ष है कि यह परियोजना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में आती है और तकनीकी एवं वित्तीय मानदंड निवेश के अनुकूल नहीं हैं, जिससे परियोजना अव्यवहार्य है। टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर, मेसर्स

टीसीई ने पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट की समीक्षा की और पुष्टि की कि पौड़ी गढ़वाल जिले में जसपालगढ़ पंप भंडारण संयंत्र के लिए सीईए द्वारा चिन्हित स्थान के 12-15 किलोमीटर की परिधि में कोई भी व्यवहार्य परियोजना स्थल नहीं है। परिणाम स्वरुप, इस परियोजना पर आगे कोई कार्य रोक देने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, यह ऑन-स्ट्रीम पीएसपी गंगा नदी की सहायक नदियों पर भी स्थित है, अतएव सीईए ने यह भी सलाह दी है कि गंगा बेसिन में पीएसपी के लिए किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में, इसी प्रकार का प्रतिबंध लागू होता है।

टीएचडीसीआईएल के प्रबंधन की ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी को चिन्हित करने की सलाह पर, गूगल अर्थ वेबसाइट पर वैकल्पिक ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी स्थान को खोजा गया और तदनुसार, आसपास के क्षेत्र का वास्तविक दौरा करने के लिए डी एंड ई सिविल, ईएमडी, जी एंड जी, एस एंड आई, एस एंड ई और टीयूईसीओ लिमिटेड के सदस्यों की एक समिति गठित की गई।

तदनुसार, समिति ने एक डेस्क अध्ययन किया और एक वैकल्पिक बंद-लूप ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी को चिन्हित किया, जिसका नाम 'जसपालगढ़-सतीचौर' है। दिनांक 10/01/2025 को स्थल दौरे के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित पीएसपी के लिए चिन्हित किया गया वैकल्पिक स्थान तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रतीत होता है, किंतु राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंदर लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के मालन और ग्वालगढ़ ब्लॉक भाग के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में हाइड्रो/पंप भंडारण विद्युत (पीएसपी) परियोजनाओं का विकास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत विनियमित है। इसके अतिरिक्त, राजाजी के लिए इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना का मसौदा एमओईएफएंड सीसी के जांच अधीन है। यह विनियामक बाधा स्थल पर आगे के सर्वेक्षणों और जांच गतिविधियों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर सकती है। इसके अलावा, चिन्हित स्थल तक पहुंचने का रास्ता कण्वाश्रम या सतीचौड़, किसी भी ओर से सुलभ नहीं है।

उत्तराखंड सरकार से अन्य परियोजनाएं आवंटित करने का अनुरोध

टीयूईसीओ के सीईओ ने सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है कि वे गंगा बेसिन के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर विचार करें और इन रुकी हुई परियोजनाओं के बदले में, कुछ अतिरिक्त जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करें, जहां कार्य तुरंत आरंभ किया जा सके।

बोर्ड की संरचना

कंपनी के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में टीएचडीसीआईएल द्वारा नामित अध्यक्ष सहित चार नामित निदेशक और आपकी कंपनी में नियुक्त यूजेवीएनएल के दो (2) नामित निदेशक हैं। निदेशक मंडल का विवरण, अर्थात् उनके नाम, पदनाम, निदेशक पदों की संख्या और कंपनी की बोर्ड की बैठक में उनकी उपस्थिति आदि नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम	अन्य निदेशक पदों की संख्या	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बोर्ड की बैठकें	
					उपस्थित	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	3	4	4	100%
2.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नामित निदेशक	4	4	4	100%
3.	श्री सिपन कुमार गर्ग*	नामित निदेशक	1	2	2	100%
4.	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	नामित निदेशक	–	4	3	75%
5.	डॉ. संदीप सिंघल	नामित निदेशक	3	4	4	100%
6.	श्री सुरेश चन्द्र बलूनी	नामित निदेशक	2	4	3	75%

*श्री सिपन कुमार गर्ग को टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में 06.09.2024 से नियुक्त किया गया।

बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। बैठक के लिए आवश्यक कोरम उपस्थित था। नीचे दी गई तालिका में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति दर्शायी गई है:

क्र.सं.	बोर्ड की बैठक की तिथि	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	10 अप्रैल 2024	5	5
2.	10 मई 2024	5	4
3.	6 सितंबर 2024	6	6
4.	27 दिसंबर 2024	6	5

केएमपी (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार, कंपनियों के निर्धारित वर्ग या वर्गों से संबंधित प्रत्येक कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का होना आवश्यक है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पदनामित किया है :-

1. श्री संदीप कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. श्री एस.के. मोहंती, मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. सुश्री साक्षी नेगी, कंपनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (राशि रु. में)

क्र.सं.	केएमपी	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	बोनस और कमीशन	पीआरपी	कुल
1	श्री संदीप कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	76,55,376.00	-	5,85,499.00	82,40,875.00
2	श्री एस.के. मोहंती*	मुख्य वित्तीय अधिकारी (07-08-2024 से 31-03-2025)	26,72,250.00	-	3,28,821.00	30,01,071.00
3	श्री ए.पी. बाजपेयी*	मुख्य वित्तीय अधिकारी (01-04-2024 से 06-08-2024)	14,89,300.94	-		14,89,300.94
4	सुश्री साक्षी नेगी*	कंपनी सचिव	11,60,489.00	-	-	11,60,489.00

***टीयूईसीओ के रोल पर नहीं हैं।**

पूंजी संरचना लाभांश

शेयर पूंजी:

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) है, जो 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी 10 (दस) करोड़ रुपये है। कंपनी की इक्विटी टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड के बीच क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत के अनुपात में साझा की गई है।

शेयरधारिता पैटर्न:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नामित शेयरधारकों सहित	74,00,000	74%
2	यूजेवीएन लिमिटेड, नामित शेयरधारकों सहित	26,00,000	26%
	कुल		100%

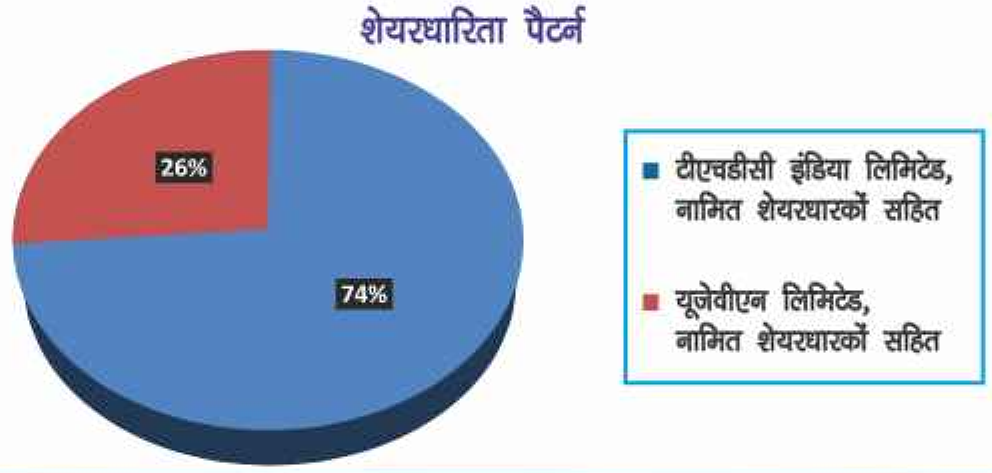

लाभांशः

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने किसी लाभांश का भुगतान या घोषणा नहीं की है।

आरक्षित निधि एवं अधिशेष में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी को ₹19.57 लाख की हानि हुई है। अतः, कोई भी राशि आरक्षित निधि और अधिशेष में अंतरित नहीं की गई।

सांविधिक लेखापरीक्षक

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। सीएंडएजी के पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, टीएचयूजेईसी (1)/1183 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत मेसर्स अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 19बी, मोहित विहार, कार्मेल स्कूल के पीछे, जीएमएस रोड, देहरादून को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों पर एक अनर्ह रिपोर्ट दी है। अतएव, कंपनी की टिप्पणी 'शून्य' है।

लेखों की समीक्षा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा 'नहीं करने' का निर्णय लिया है।

दिए गए ऋणों और गारंटियों, किए गए निवेशों और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई ऋण या गारंटी नहीं दी गई है, निवेश नहीं किया गया है, या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं।

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण आदेशों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा वर्तमान व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया।

दिवालिया और शोधन असक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही के ब्यौरे

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान,

दिवालिया और शोधन असक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के कारण सहित ब्यौरे।

आपकी कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी भी ऋण के संबंध में कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा यथा अपेक्षित 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में आवश्यक जानकारी और उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने एमएसएमई के साथ ₹6.05 लाख का लेनदेन किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुपालन में, निदेशकगण निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा वर्तमान व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे; और

(ङ) निदेशकों ने, किसी सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह सुनिश्चित किया था कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

कर्मचारियों से संबंधित जानकारी

कंपनी में 9 कर्मचारी तैनात हैं और संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर जनशक्ति संरचना की समीक्षा की जाती है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कंपनी

अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुसार अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अंतर्गत यथा अपेक्षित संबंधित पक्ष लेनदेन का फॉर्म एओसी-2 में प्रकटीकरण किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

इस वर्ष के लिए जानकारी शून्य है क्योंकि परियोजना वर्तमान में सर्वेक्षण और जांच चरण में है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) के अंतर्गत प्रकटीकरण

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जोखिम प्रबंधन, विशेष रूप से आज के प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक परिदृश्य में, प्रभावी सुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आपकी कंपनी संभावित जोखिमों को चिन्हित करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाती है, जिससे उसके कार्यनीतिक, वित्तीय और प्रचालनात्मक उद्देश्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी एक आधिकारिक वेबसाइट विकसित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी का वार्षिक रिटर्न, होल्डिंग कंपनी अर्थात् टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। वार्षिक रिटर्न देखने के लिए वेब लिंक नीचे दिया गया हैः

https://thdc.co.in/en/content/joint.venture ssubsidiaries.

होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे

टीएचडीसीआईएल - यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनी है। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 74 प्रतिशत हिस्सा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का है, जबकि शेष 26 प्रतिशत हिस्सा यूजेवीएन लिमिटेड का है। तदनुसार, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है।

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते। तदनुसार, इस संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को उक्त प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

स्वतंत्र निदेशक के संबंध में घोषणा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई, 2017 और 5 सितंबर, 2017 को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनियों को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षा से छूट दी गई है। तदनुसार, आपकी कंपनी में, संयुक्त उद्यम होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित नहीं है।

सांविधिक प्रकटीकरण

- **वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ**

  वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2025 के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

- **लागत रिकॉर्ड**

  कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत रिकॉर्ड का निर्माण एवं अनुरक्षण अपेक्षित नहीं है।

- **सार्वजनिक जमा**

  वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के अंतर्गत कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

- **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण**

  कंपनी का वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या प्रचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पाई गई। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स अंशुल अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी की, वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

- **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन**

  वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

- **निदेशक से ऋण**

  समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी निदेशक से कोई ऋण नहीं लिया है।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल उत्तराखंड राज्य सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालयों, तथा उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों द्वारा हमारे सभी प्रयासों में दिए गए निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है। आपके निदेशक सभी

हितधारकों, व्यावसायिक भागीदारों और कंपनी के सदस्यों के प्रति, मंडल में निष्ठा, विश्वास, और भरोसा बनाए रखने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सभी स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों, प्रतिबद्धता और उत्साह की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, जो कंपनी के निरंतर विकास और उत्कृष्टता की खोज को सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं।

हम अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और निरंतर समर्थन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, मैं बोर्ड के अपने सम्मानित सहयोगियों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूं कि आने वाले समय में उनका निरंतर प्रोत्साहन, बुद्धिमतापूर्ण परामर्श एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-

(आर.के. विश्नोई)

अध्यक्ष एवं नामित निदेशक

डीआईएनः 08534217

दिनांकः 24.09.2025

स्थानः देहरादून

फॉर्म संख्या एओसी-2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी
(लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निष्पक्ष लेन-देन भी शामिल हैं।

1) **अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो निष्पक्ष नहीं है : शून्य**
   - (क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति : लागू नहीं
   - (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति : लागू नहीं
   - (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि : लागू नहीं
   - (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें मूल्य सहित, यदि कोई हो : लागू नहीं
   - (ङ) ऐसे अनुबंध या व्यवस्थाएं या लेनदेन करने का औचित्य : लागू नहीं
   - (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(या तिथियाँ) : लागू नहीं
   - (छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं
   - (ज) धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत यथा अपेक्षित आम बैठ्क में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि : लागू नहीं

2) **निष्पक्ष आधार पर किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा**
   समीक्षाधीन अवधि के दौरान निष्पक्ष आधार पर कोई महत्वपूर्ण अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन नहीं हुआ।
   - (क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति : लागू नहीं
   - (ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति : लागू नहीं
   - (ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि : लागू नहीं
   - (घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें मूल्य सहित, यदि कोई हो : लागू नहीं
   - (ङ) ऐसे अनुबंध या व्यवस्थाएं या लेनदेन करने का औचित्य : लागू नहीं
   - (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(या तिथियाँ) : लागू नहीं
   - (छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./-

(आर.के. विश्नोई)

दिनांकः 24.09.2025 **अध्यक्ष एवं नामित निदेशक**

स्थानः देहरादून डीआईएनः 08534217

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : यू35101यूटी2023जीओआई016550

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियाँ					
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		27.31		7.49
(ख) उपयोगाधिकार संपत्तियाँ			-		-
(ग) अन्य अमूर्त संपत्तियाँ			-		-
(घ) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	3		669.09		180.03
(ङ) वित्तीय संपत्तियाँ					
(i) सहायक कंपनी में निवेश		-		-	
(ii) ऋण		-		-	
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	4		24.29		14.59
(छ) गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			-		-
(ज) अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ			-		-
चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) इन्वेंटरीज			-		-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) व्यापारिक प्राप्य		-		-	
(ii) नकद और नकद समतुल्य	5	518.78		1,000.25	
(iii) ऋण		-		-	
(iv) अग्रिम		-		-	
(v) अन्य		-	518.78	-	1,000.25
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	6		5.49	-	
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ			-		-
विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष			-		-
कुल			**1,244.96**		**1,202.35**
इक्विटी और देनदारियां					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7		1,000.00		1,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	8		(69.12)		(49.55)
कुल इक्विटी			**930.88**		**950.45**
गैर-चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधारियां		-		-	
(iक) पट्टा देनदारियां		-		-	
(ii) गैर-चालू वित्तीय देनदारियां		-	-	-	-
(ख) अन्य गैर-चालू देनदारियां			-		-
(ग) प्रावधान			-		-

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधारियां		-		-	
(क) पट्टा देनदारियां		-		-	
(ii) व्यापार देनदारियां		-		-	
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-		-	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-		-	
(iii) अन्य	9	308.59	308.59	250.47	250.47
(ख) अन्य चालू देनदारियां	10		5.48		0.15
(ग) प्रावधान	11		-		1.28
(घ) चालू कर देनदारियां (निवल)			-		-
नियामक आस्थगित खाता जमा शेष			-		-
कुल			**1,244.96**		**1,202.35**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1				
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	15				
लेखों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	16				
नोट 1 से 16, लेखों का एक अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिएं एवं उनकी ओर से

प्र.ह./–	**प्र.ह./–**	**प्र.ह./–**	**प्र.ह./–**
(साक्षी नेगी)	**(एस.के. मोहंती)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	सी.ई.ओ.	अध्यक्ष
सदस्यता सं.62829			डीआईएनः 08534217

दिनांकः 16.05.2025
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 500112एन

प्र.ह./–
(सी.ए. अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. :–092048

दिनांकः 17.05.2025
स्थानः देहरादून

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू35101यूटी2023जीओआई016550

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय	12	54.91	-
कुल आय		**54.91**	**-**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	13	82.41	22.26
वित्तीय लागत		-	-
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2	-	-
उत्पादन प्रशासन एवं अन्य व्यय	14	1.77	41.88
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर के लिए प्रावधान	-	-	
कुल व्यय		**84.18**	**64.14**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि)		**(29.27)**	**(64.14)**
असाधारण मदें- (आय)/ व्यय- निवल		-	-
कर और विनियामक स्थगन खाता शेष से पूर्व लाभ/(हानि)		**(29.27)**	**(64.14)**
कर व्यय			
चालू कर			
आयकर		**-**	**-**
आस्थगित कर-(परिसंपत्ति)/ देनदारी		(9.70)	(14.59)
विनियामक स्थगन खाता शेष से पूर्व की अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(19.57)**	**(49.55)**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन - कर के बाद निवल		-	-
I. निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(19.57)**	**(49.55)**
II. अन्य व्यापक आय		-	-

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
परिभाषित हित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-		-		
अन्य व्यापक आय			-		-
कुल व्यापक आय (I+II)			**(19.57)**		**(49.55)**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			(0.20)		(1.49)
डायल्यूटेड (₹)			(0.20)		(1.49)
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
बेसिक (₹)			(0.20)		(1.49)
डायल्यूटेड (₹)			(0.20)		(1.49)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ					
वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण	15				
लेखों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	16				
नोट 1 से 16 लेखों का एक अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिएं एवं उनकी ओर से

प्र.ह./–	**प्र.ह./–**	**प्र.ह./–**	**प्र.ह./–**
(साक्षी नेगी)	**(एस.के. मोहंती)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	सी.ई.ओ.	अध्यक्ष
सदस्यता सं.62829			डीआईएनः 08534217

दिनांकः 16.05.2025
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 500112एन

प्र.ह./–
(सी.ए. अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. :–092048

दिनांकः 17.05.2025
स्थानः देहरादून

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू35101यूटी2023जीओआई016550

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		**(29.27)**		**(64.14)**
जोड़ें: विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (कर का निवल)		-		-
जोड़ें: विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		-		-
विनियामक आस्थगन में संचलन सहित कर पूर्व लाभ		**(29.27)**		**(64.14)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः-				
मूल्यह्रास	-		-	
मूल्यह्रास-सिंचाई घटक	-		-	
प्रावधान		-		-
वित्तीय लागत	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
बैंक जमा पर ब्याज	(54.91)		-	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	-		-	
असाधारण मदें	-	(54.91)	-	-
कार्यशील पूंजी से पूर्व प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकद प्रवाह		**(84.18)**		**(64.14)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः-				
इन्वेंट्रीज		-		-
व्यापार प्राप्य (बिना बिल वाले राजस्व सहित)	-		-	
अन्य परिसंपत्तियाँ	(5.49)		-	
ऋण और अग्रिम (चालू, गैर-चालू)	-		-	
अल्पसंख्यक हित	-		-	
व्यापार देय और देनदारियां	63.46		250.62	
प्रावधान (चालू, गैर-चालू)	(1.28)		1.28	
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन खाता शेष	-	56.69		251.90
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		**(27.49)**		**187.76**
कारपोरेट कर		-		-
प्रचालनों से निवल नकद (क)		**(27.49)**		**187.76**

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :-				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(508.88)		(187.52)	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	-		-	
पूंजीगत अग्रिम	-		-	
अनुदान	-		-	
बैंक जमा पर ब्याज	54.91		-	
विलंबित भुगतान अधिभार	-		-	
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष	-		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ख)		**(453.97)**		**(187.52)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	-		1,000.00	
उधारियों का पुनर्भुगतान-गैर-चालू	-		-	
उधारियों की आय-गैर-चालू	-		-	
उधारियां-चालू	-		-	
पट्टा देनदारी	-		-	
ब्याज और वित्त प्रभार	-		-	
लाभांश	-		-	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ग)		**-**		**1,000.00**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकद प्रवाह (क+ख+ग)		**(481.47)**		**1,000.25**
ङ. आरंभिक नकद और नकद समकक्ष		**1,000.25**		**-**
च. समापन नकद और नकद समकक्ष (घ+ङ)		**518.78**		**1,000.25**

निदेशक मंडल के लिएं एवं उनकी ओर से

प्र.ह./-	**प्र.ह./-**	**प्र.ह./-**	**प्र.ह./-**
(साक्षी नेगी)	**(एस.के. मोहंती)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	सी.ई.ओ.	अध्यक्ष
सदस्यता सं.62829			डीआईएनः 08534217

दिनांकः 16.05.2025
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 500112एन

प्र.ह./-
(सी.ए. अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. :-092048

दिनांकः 17.05.2025
स्थानः देहरादून

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : यू35101यूटी2023जीओआई016550

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2025 के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष राशि		1,000.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समापन शेष		**1,000.00**

(2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पूर्व वर्ष रिपोर्टिंग अवधि

रुपए लाख में

नोट सं.	नोट सं.	31 मार्च, 2025 तक की
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष राशि		-
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समापन शेष		**1,000.00**

निदेशक मंडल के लिएं एवं उनकी ओर से

प्र.ह./–	प्र.ह./–	प्र.ह./–	प्र.ह./–
(साक्षी नेगी)	**(एस.के. मोहंती)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	सी.ई.ओ.	अध्यक्ष
सदस्यता सं.62829			डीआईएनः 08534217

दिनांकः 16.05.2025

स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 500112एन

प्र.ह./–
(सी.ए. अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. :–092048

दिनांकः 17.05.2025

स्थानः देहरादून

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धनराशि	01 अप्रैल-2024 से 31 मार्च-2025 तक रिजर्व एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल	गैर-नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि			
आरंभिक शेष (I)		-	(49.55)	-	-	(49.55)	-	-49.55
अवधि के लिए लाभ			(19.57)			(19.57)	-	(19.57)
अन्य व्यापक आय			-			-		-
कुल व्यापक आय			(19.57)	-	-	(19.57)	-	(19.57)
गैर-नियंत्रित ब्याज द्वारा इक्विटी अंशदान							-	-
लाभांश			-			-		-
लाभांश पर कर			-			-		-
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**(19.57)**	**-**	**-**	**(19.57)**	**-**	**(19.57)**
समापन शेष (I+II)		**-**	**(69.12)**	**-**	**-**	**(69.12)**	**-**	**(69.12)**

(2) 31 मार्च 2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	आबंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन धनराशि	01 अप्रैल-2024 से 31 मार्च-2025 तक रिजर्व एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल	गैर-नियंत्रित ब्याज	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन रिजर्व और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि			
आरंभिक शेष (I)		-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ			(49.55)			(49.55)	-	(49.55)
अन्य व्यापक आय			-			-		-
कुल व्यापक आय			(49.55)			(49.55)	-	(49.55)
गैर-नियंत्रित ब्याज द्वारा इक्विटी अंशदान		-			-		-	
लाभांश								
लाभांश पर कर		-			-		-	
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			(49.55)			(49.55)	-	(49.55)
समापन शेष (I+II)		-	(49.55)	-	-	(49.55)	-	(49.55)

निदेशक मंडल के लिएं एवं उनकी ओर से

प्र.ह./–	प्र.ह./–	प्र.ह./–	प्र.ह./–
(साक्षी नेगी)	(एस.के. मोहंती)	(संदीप कुमार)	(आर.के. विश्नोई)
कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	सी.ई.ओ.	अध्यक्ष
सदस्यता सं.62829			डीआईएनः 08534217

दिनांकः 16.05.2025
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 500112एन

प्र.ह./–
(सी.ए. अंसुल अग्रवाल) पार्टनर
सदस्यता सं. :-092048

दिनांकः 17.05.2025
स्थानः देहरादून

नोट –1 कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग कंपनी

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित कंपनी (CIN: U35101UT2023GOI016550) है और यह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी के शेयर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (74%) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) (26%) द्वारा धारित हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 26 ईसी रोड, देहरादून, देहरादून शहर, उत्तराखंड, भारत, 248001 में स्थित है। कंपनी की संबद्धता मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की आयोजना, वर्धन और विकास में है।

ख. तैयारी का आधार

1 अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए वर्तमान व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जहां तक अधिसूचित और प्रयोज्य हो) और प्रयोज्य सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 16.05.2025 को आयोजित बैठक में अधिकृत किया गया था।

2 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत समस्त वित्तीय जानकारी को, अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर निरंतरता से लागू की गई हैं।

1. अनुमान और मान्यताएँ

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए ऐसे अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान और मान्यताएँ सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाई जाती हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। ऐसी भिन्नताओं का पता उस वर्ष में चलता हैं जिसमें वास्तविक परिणाम स्पष्ट होते हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

2.1 पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण / निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या पुर्स्थापन

लागत भी शामिल होती है। लागत में वह व्यय शामिल है जो सीधे तौर पर परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित है। ऐसे मामलों में जहाँ ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन परिसंपत्ति पूरी हो चुकी है और उपयोग के लिए तैयार है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन, अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

2.2 मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण पूंजीकृत होते हैं। प्रतिस्थापित किए गए स्पेयर पार्ट्स की वहन राशि तब अमान्य कर दी जाती है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रूप में रखा जाता है और उपभोग संबंधी लाभ-हानि विवरण में प्रकट किया जाता है।

2.3 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर किया गया व्यय, जब वह परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे पूंजीकृत कर दिया जाता है। पिछले निरीक्षण और ओवरहाल की लागत की शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग या पहले के प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल की लागत उपलब्ध नहीं है, तो इसके अधिग्रहण या निरीक्षण कि जाने के समय मौजूदा भाग/निरीक्षण/ओवरहाल घटक की लागत का पता लगाने के लिए सांकेतिक रूप में समान नए भागों/प्रमुख निरीक्षण/ओवरहाल की अनुमानित लागत का उपयोग किया जाता है।

2.4 पीपीई की किसी वस्तु के निपटान पर उसकी मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में शामिल की जाती है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की गई थी।

2.5 कंपनी से संबंधित नहीं, किंतु कंपनी के नियंत्रण और कब्जे वाली भूमि पर निर्मित पी.पी.ई. को पी.पी.ई. में शामिल किया गया है।

2.6 विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) के माध्यम से/उपयोग के अधिकार पर अर्जित भूमि के संबंध में, भूमि के उन हिस्सों को पूंजीकृत किया जाता है जिनका उपयोग कंपनी के भवनों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु किया जाता है/उपयोग किए जाने का आशय है। डूब क्षेत्र की भूमि सहित अन्य अर्जित भूमि का उनके उपयोग के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित भूमि की लागत को एसएलएओ के माध्यम से या सीधे कंपनी द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

विस्थापितों को क्षतिपूर्ति, पुनर्वास हेतु किए गए भुगतान/अनंतिम रूप से सृजित देनदारियों को और कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य खर्चों को भूमि की लागत माना जाता है।

3. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किया गया व्यय, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागतों में आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यापार छूट और रिबेट घटाने के बाद) सहित परिसंपत्ति का क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित पद्धति से प्रचालित करने हेतु आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने हेतु सीधे तौर पर उत्तरदायी लागतें शामिल हैं ।

3.2 उपयोगाधिकार वाली भूमि पर पट्टा राशि और किराए, तथा डूब क्षेत्र और अन्य प्रयोजनों (जैसे विस्थापितों का पुनर्वास, नई टाउनशिप का निर्माण, वनरोपण, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहण तक वहाँ बसी कॉलोनियों में रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय आदि) और जहाँ परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण हेतु ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण एक विशिष्ट पूर्व-शर्त है, के लिए प्रयुक्त भूमि और संपत्तियों आदि के मुआवजे पर होने वाली लागत को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (पुनर्वास) में अग्रेषित किया जाता है। उक्त परिसंपत्ति को वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से डूब क्षेत्र की भूमि के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

3.3 जमा कार्यों का लेखांकन संबंधित एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर किया जाता है।

3.4 आपूर्ति-सह-निर्माण अनुबंधों के संबंध में, साइट पर प्राप्त आपूर्ति का मूल्य पूंजीगत-प्रगतिरत-कार्य के रूप में माना जाता है ।

3.5 अनुबंधों के मामले में मूल्य भिन्नता के दावों का स्वीकृति पर लेखांकन किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लागत में कर्मचारी लाभ की लागत, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों से संबंधित व्यय, साइट की तैयारी की लागत, प्रारंभिक वितरण और हैंडलिंग शुल्क, संस्थापना और असेंबली लागत, व्यावसायिक शुल्क, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, और परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित अन्य लागतें शामिल हैं। ऐसी लागतों को व्यवस्थित आधार पर निर्माण परियोजनाओं/प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों पर आवंटित किया जाता है।

4. कोयला खदानों से संबंधित विकास व्यय

4.1 जब प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाती है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के अंतर्गत 'कोयला खदानों के विकास' को अंतरित कर दिया जाता है।

बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह या तो विकास/उत्पादन परिसंपत्ति के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है या मौजूदा विकास/उत्पादन परिसंपत्ति के किसी भाग को प्रतिस्थापित करता है। प्रतिस्थापित भाग से जुड़ी कोई भी शेष लागत व्यय में शामिल होती है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले के मूल्य का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खदानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि सीईआरसी टैरिफ विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्राप्त उपलब्धियों पर निर्धारित की जाएगीः

1) उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली तिथि जिसमें खनन योजना के अनुसार शीर्ष रेटेड क्षमता का 25% प्राप्त किया गया हो; या

2) उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो; या

3) उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की तिथि;

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि को, पूंजीगत-पगतिरत-कार्य के अंतर्गत परिसंपत्तियों को 'खनन संपत्ति' के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर संदर्भित परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त करने पर लाभ और हानि, निवल निपटान आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और इन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया जाता है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

कोयला भंडार निष्कर्षण के लिए आवश्यक खदान अपशिष्ट पदार्थों (ओवरबर्डन) को हटाने पर होने वाले व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खदान के जीवनकाल में तकनीकी रूप से अनुमानित ऐसे व्यय करने होते हैं।

स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान में यथा निर्धारित स्ट्रिपिंग गतिविधि के लिए तथा खदानों को राजस्व में लाने के बाद अनुपात-भिन्नता के लेखांकन के उचित समायोजन के साथ तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित की जाती है।

यथा निर्धारित स्ट्रिपिंग गतिविधि के शेष और बैलेंस शीट की तिथि पर अनुपात भिन्नता को 'गैर-वर्तमान परिसंपत्ति/गैर-वर्तमान प्रावधान' शीर्ष, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया जाता है, और सीईआरसी टैरिफ विनियमों में यथा उपबंधित अनुसार समायोजित किया जाता है।

4.3 खदानों को बंद करना, साइट की पुनर्स्थापना और डीकमीशनिंग बाध्यताएं

भूमि सुधार और संरचना की डीकमीशनिंग के लिए कंपनी की बाध्यता में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार खदानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी अपेक्षित कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन तथा अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर खदान बंद करने, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग के लिए अपनी बाध्यताओं का अनुमान लगाती है। व्यय के अनुमान को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है और फिर कर-पूर्व छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है, कि प्रावधान की राशि बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत संबंधित परिसंपत्ति को ऐसी बाध्यता से जुड़ी लागत के लिए एक अलग मद के रूप में चिन्हित करती है। राजस्व में लाए जाने पर, खदानों के बंद होने, साईट की बहाली और डीकमीशनिंग दायित्वों को खदान के शेष जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

बाध्यता का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, स्वीकृत खदान बंदी योजना के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता अनुरक्षित किया जाता है। खदान बंदी पर वर्षानुवर्ष होने वाले क्रमिक व्यय को, जो कुल खदान बंदी की बाध्यता का हिस्सा होता है, प्रारंभ में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में प्रकट किया जाता है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद इसे उस वर्ष की बाध्यता के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित क्षति हानियों को घटाकर रखा जाता है।

5.2 आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) को अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षति हानियों (यदि कोई हो) को घटाकर दर्शाया गया है।

5.3 अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद की मान्यता उस समय समाप्त हो जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने से होने वाले लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त की जाती है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन प्रारंभ में लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। बैलेंस शीट की तिथि को, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर रिपोर्ट किया जाता है।

7. उचित मूल्य मापन

7.1 उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को मापन तिथि को बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में बेचने के लिए प्राप्त होगा या किसी देनदारी को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता के समय, लेन-देन मूल्य ही उचित मूल्य का सर्वोत्तम प्रमाण होता है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो वह अन्य बातों के साथ-साथ, प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियाँ जिनका उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। यह वर्गीकरण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैः

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकनीय नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनाई जाने वाली उचित मूल्य तकनीकों की समीक्षा करती है और उपयुक्त माने जाने पर ऊपर निर्दिष्ट किसी भी स्तर को लागू करके तदनुसार उचित मूल्य निर्धारित करती है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ, किसी परिसंपत्ति में नकद, नकद प्राप्त करने का संविदात्मक दायित्व या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, या कंपनी के लिए संभावित रूप से अनुकूल शर्तों के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारी का आदान-प्रदान शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्यता दी जाती है जब कंपनी इस साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, बैंक बैलेंस, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के मौजूदा व्यवसाय मॉडल और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकद प्रवाह विशेषताओं के आधार पर, निम्नानुसार वर्गीकरण किए गए हैं:

1.) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां,

2.) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां, और

3.) लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

8.4 **प्रारंभिक मान्यता और मापनः-** व्यापारिक प्राप्य को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन लागतें भी शामिल हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागतों को लाभ और हानि विवरण में व्ययित किया जाता है। जहाँ लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का माप नहीं है और उचित मूल्य का निर्धारण एक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है जिसमें अवलोकनीय बाजार से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है, वहाँ लाभ और हानि विवरण में लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को मान्यता दी जाती है और अन्य मामलों में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके वित्तीय साधन के जीवनकाल में प्रसारित किया जाता है। ईआईआर की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापार प्राप्य को उनके लेनदेन मूल्य पर मापती है क्योंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है।

8.6 **अनुवर्ती मापनः-** प्रारंभिक मापन के बाद, परिशोधित लागत पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागतों को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।

8.7 **मान्यता समाप्त करनाः-** किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब उक्त वित्तीय परिसंपत्ति से जुड़े सभी नकद प्रवाह प्राप्त हो जाते हैं या ऐसे अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकद और नकद समतुल्य

बैलेंस शीट में नकद और नकद समतुल्य में बैंकों में नकद, हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

10. इन्वेंटरी

10.1 इन्वेंटरी में मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले भंडार और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी, सामान्य व्यावसायिक क्रम में अनुमानित विक्रय मूल्य होता है, जिसमें से बिक्री के लिए आवश्यक विक्रय लागत घटा दी जाती है।

10.2 प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इन्वेंट्री की वहन राशि का मूल्यांकन इसे एनआरवी (निवल वसूली योग्य मूल्य) पर दर्शाने के लिए किया जाता है। वहन राशि में कमी होने की स्थिति में, इन्वेंट्री की वहन राशि को एनआरवी पर मान्यता देने के लिए उचित समायोजन किया जाता है और इस तरह की कम की गई राशि को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में भी प्रकट किया जाता है। इन्वेंट्री मूल्य में कमी के बाद, यदि एनआरवी में वृद्धि होती है (मूल लागत तक), तो इन्वेंट्री के मूल्य को एनआरवी पर मान्यता देने के लिए बढ़ाया जाता है और वृद्धि राशि को लाभ-हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यवसाय के स्वाभाविक क्रम में होने वाली सभी इन्वेंट्री हानियों को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11. वित्तीय देनदारियाँ

11.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य कंपनी को नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कंपनी के लिए सशक्त रूप से प्रतिकूल हैं।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधारियां, व्यापार एवं अन्य देनदारियों शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और मापन

11.3.1 वित्तीय देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य में से उन लेन-देन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है जो सीधे वित्तीय देनदारियों के निर्गमन से संबंधित होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। प्रारंभिक मान्यता के समय प्राप्तियों (लेन-देन लागतों का निवल) और उचित मूल्य के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर को, यदि कोई हो, लाभ-हानि विवरण में या, यदि कोई अन्य मानक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उधारियों की अवधि के दौरान किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति देता है, तो 'निर्माण पर होने वाले व्यय' में मान्यता दी जाती है।

11.3.2 जब तक कि कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो, उधारियों को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

11.4 अनुवर्ती मापन

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ईआईआर की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि

के अंत में की जाती है। देनदारियों की मान्यता समाप्त होने पर और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि विवरण में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

11.4.2 परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागतों को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 मान्यता समाप्त करना जब देनदारी के अंतर्गत बाध्यता हो निस्तारित कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाती है, तो किसी वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

12. सरकारी अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदान सहायता को प्रारंभ में गैर-वर्तमान देनदारी के अंतर्गत गैर-प्रचालन आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और बाद में ऐसे अंशदान/अनुदान सहायता से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डालने के समान अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे प्रावधान बैलेंस शीट की तिथि को बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित राशि के प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन द्वारा किए गए वर्तमान अनुमानों का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों का वित्तीय विवरणों में प्रकटन तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभावित हो।

14. राजस्व मान्यता और अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत, राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब कि कंपनी किसी ग्राहक को वचन दी गई वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करके निष्पादन बाध्यता की पूर्ति करती है। किसी परिसंपत्ति का अंतरण तब होता है जब नियंत्रण का अंतरण समय के साथ या किसी निश्चित समय पर होता है। कंपनी उस राशि के संबंध में राजस्व को मान्य करती है जिसके लिए उसे इन्वायस जारी करने का अधिकार है।

14.2 ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशनों के मामले में जहाँ अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं है, राजस्व की मान्यता उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा तैयार किए गए लागू विनियमों में दिए गए मापदंडों और पद्धति पर आधारित होती है। राजस्व की पहचान, सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत शुल्क' की अधिसूचना जारी होने तक संग्रहण के प्रयोजन से अपनाई गई अनंतिम दर से स्वतंत्र होगी।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के प्रति वसूली/वापसी का वर्षानुवर्ष

आधार पर लेखांकन किया जाता है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुपालन में प्रचालन से प्राप्त राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है तथा परिसंपत्तियों को भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुपालन में कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, जो महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, संबंधित अंतिम वर्ष में प्रभावी होते हैं।

14.5 प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ करारों के आधार पर किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशनों के मामले में जहाँ इन्हें अधिसूचित/अनुमोदित/

लाभार्थियों के साथ सहमत नहीं किया गया है, प्रोत्साहन/निरुत्साहन का लेखांकन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

14.6 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माने जा रहे मूल्यह्रास के निमित्त अग्रिम को परियोजना का कुल उपयोगी जीवन 40 वर्ष मानते हुए, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 12 वर्ष पूरे होने के बाद 28 वर्ष के शेष उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा आधार पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है।

14.7 परामर्शी कार्य से आय का लेखांकन संबंधित परामर्शी अनुबंधों की शर्तों के अनुरूप निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन या प्रतिपूर्ति योग्य लागत के आधार पर किया जाता है।

14.8 ऊर्जा की बिक्री के लिए व्यापार प्राप्तियों से वसूल किए जाने वाले विलम्बित भुगतान अधिभार और निश्चित क्षति/वारंटी दावों को तब मान्यता दी जाती है, जब मापनीयता या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान न हो।

14.9 अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज को संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर किए गए व्यय से घटाकर संबंधित पूंजीगत प्रगतिरत-कार्य खाते में जमा कर दिया जाता है।

14.10 स्क्रैप का मूल्य बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि के लिए बीमा दावों का स्वीकृति वर्ष में लेखांकन किया जाता है। अन्य बीमा दावों का लेखांकन प्राप्ति की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपये या इससे कम के पूर्वदत्त व्ययों को उनके प्राकृतिक लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है ।

15.2 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से उन पूर्व अवधियों की तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके सही किया जाता है जिनमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई पूर्वतम अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई पूर्वतम अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों और प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुमोदन से पूर्व नई परियोजनाओं के संबंध में किए गए प्रारंभिक व्यय को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

15.5 अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय कंपनी की अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना के अनुसार किया जाता है ।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर व्यय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

15.7 तीन वर्षों से बकाया संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों/ दावों (सरकारी बकायों को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि राशि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार वसूली योग्य न मानी जाए। तथापि, जब अंततः अविश्वसनीयता स्थापित हो जाती है, तो ऋणों/अग्रिमों/दावों को मामला-दर-मामला आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

16. कर्मचारी लाभ

कंपनी के कर्मचारी मूल कंपनी से सेकंडमेंट पर हैं। कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाएँ, अवकाश नकदकरण, दीर्घ सेवा पुरस्कार, वित्तीय लाभ योजना और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं। मूल कंपनी के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार, कंपनी, कंपनी में की गई सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का योगदान भविष्य निधि और पेंशन योजना में करती है। अन्य सेवांत लाभों के लिए, कंपनी मूल कंपनी की सलाह के अनुसार उपयुक्त समायोजन करती है। यदि कोई बीमांकिक लाभ/हानि होती है, तो उसका लेखांकन मूल कंपनी द्वारा किया जाएगा।

17. उधारी की लागत

17.1 अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या इरेक्शन से सीधे संबंधित उधारी लागतों को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं। अर्ह परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जो आवश्यक रूप से उनके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समायावधि लेती हैं।

17.2 जब कंपनी किसी अर्हक परिसंपत्ति को प्राप्त करने के प्रयोजन से विशेष रूप से धन उधार लेती है, तो उधारी की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य रूप से धन उधार लेती है और उसका उपयोग किसी अर्ह परिसंपत्ति को प्राप्त करने के प्रयोजन से करती है, तो उधारी की लागत के पूंजीकरण की गणना उस अवधि के दौरान बकाया सभी उधारों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है और अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या इरेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तथापि, किसी अर्ह परिसंपत्ति को प्राप्त करने के प्रयोजन से विशेष रूप से ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को, उस परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियों के पूरे होने तक इस गणना से बाहर रखा जाता है।

ऐसी उधारी लागतों को वर्ष के लिए पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के औसत शेष पर विभाजित किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

18. मूल्यह्रास और परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से आधिक्य/कटौतियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के उपयोग/निपटान के लिए तैयार होने की तिथि से/तक आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास, टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से,

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित परियोजनाओं की दरों और उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से प्रभारित किया जाता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, न्यायालयों के निर्णयों आदि के कारण दीर्घकालिक देनदारी में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि और परिवर्तन होने की स्थिति में, परिसंपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन में, संशोधित अपरिशोधित मूल्यह्रास राशि उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की परियोजनाएं, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा सुशासित नहीं हैं, उनकी कार्य अवधि 25 वर्ष मानी गई है तथा मूल्यह्रास दरें तदनुसार निर्धारित की गई हैं।

18.3 अस्थायी निर्माणों का, अधिग्रहण/पूंजीकरण के वित्तीय वर्ष में डब्ल्यूडीवी के रूप में 1/- प्रतिधारित कर पूर्ण रूप से (100%) मूल्यह्रास किया जाता है।

18.4 5000/-रुपये तक लेकिन 1500/- रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों के संबंध में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) खरीद के वित्तीय वर्ष में 100% मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

18.5 1500/- रुपये तक की लागत वाली कम मूल्य की वस्तुएं, जो परिसंपत्ति की प्रकृति की हैं, उन्हें पूंजीकृत और राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है।

18.6 फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण जहां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कार्य अवधि पृथक रूप से परिभाषित की गई है, परिसंपत्ति की कार्य अवधि पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

18.7 उपयोगाधिकार भूमि की लागत का परिशोधन, पट्टा अवधि या संबंधित परियोजना के कार्यकाल, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

18.8 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है और कानूनी उपयोग के अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी पहले हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

18.9 संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है और ऐसी वस्तु की वहन राशि में जोड़ा जाता है, का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति पर संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी कार्यकाल पर किया जाता है।

19. इन्वेंटरी के अलावा अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है। क्षतिग्रस्त हानि को उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में चिन्हित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, तो पूर्व लेखांकन अवधियों में मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्त हानि को वापस कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी अनुबंध के आरंभ में ही यह मूल्यांकन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा होता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्याः

(1) अनुबंध में चिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;

(2) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं; और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग का निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि को, कंपनी, निम्नलिखित को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और तदनुरूप पट्टा देनदारी को मान्यता देती है जिनमें वह पट्टेदार हैः

(क) बारह महीने या उससे कम अवधि के पट्टे (अल्पकालिक पट्टे) और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों में ये विकल्प तब शामिल होते हैं जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तिथि को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देनदारी की प्रारंभिक राशि और पट्टा प्रोत्साहन घटाकर कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। बाद में, इन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि घटाकर मापा जाता है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल में से जो भी कम हो, उस पर आरंभ तिथि से सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है, यदि पट्टा, पट्टा अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व अंतरित कर देता है या यदि उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों की लागत यह दर्शाती है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन, पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल में से जो भी कम हो, उस पर आरंभ तिथि से सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों का वसूली योग्यता के लिए मूल्यांकन तब किया जाता है जब कभी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि उनकी अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती। क्षति परीक्षण के प्रयोजन के लिए, वसूली योग्य राशि (अर्थात, बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य या उपयोग मूल्य, जो भी अधिक हो) का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से उत्पन्न नकद प्रवाहों से पर्याप्त रूप से स्वतंत्र न हो। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति से संबंधित नकद उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है।

पट्टा देनदारी को प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि निर्धारण सुलभ न हो, तो वृद्धिशील उधारी दर का उपयोग करके कम किया जाता है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देनदारीओं को संबंधित उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में तदनुरूप समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है।

21. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। कर की पहचान उस सीमा को छोड़कर लाभ और हानि विवरण में की जाती है, जिस सीमा तक यह प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में पहचान की गई मदों से संबंधित हो। इस मामले में, कर की पहचान भी प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में अथवा अन्य व्यापक आय में की जाती है।

21.1 वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उस वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर परिवर्तन की गणना भारत में, जहाँ कंपनी अपना प्रचालन करती है और कर योग्य आय अर्जित करती है तुलन-पत्र की तिथि को बनाए गए कर कानूनों अथवा व्यापक रूप से बनाए गए कानूनों के आधार पर की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 आस्थगित कर की पहचान तुलन-पत्र के दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों की वहनीय राशि और देनदारियों के बीच अंतर तथा कर योग्य लाभ के परिकलन में उपयोग किए गए तद्नुरूपी कर आधारों को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करते हुए लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों की सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचान की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की सामान्यतः पहचान सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए उस सीमा तक की जाती है जिस सीमा तक इस तथ्य की संभावना हो कि भावी कर योग्य लाभ उनके विरुद्ध उपलब्ध होगा जो कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान नहीं की जाती है यदि अस्थायी अंतर उन मामलों में किसी परिसंपत्ति अथवा देनदारी की आरंभिक पहचान से उत्पन्न होता हो जहां लेनदेन न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि और न ही लेखांकन लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता हो।

21.2.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को की जाती है और उसमें उस सीमा तक कमी लाई जाती है जिस सीमा तक इस बात की संभावना अब न हो कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उसके विरुद्ध उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की माप उन कर दरों पर की जाती है जो उस अवधि में लागू होने की आशा है जिसमें देनदारी का निपटान किया गया है अथवा परिसंपत्तियों को प्राप्त किया गया है, उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर, जिन्हें तुलन-पत्र की तिथि को निर्धारित किया गया है और पर्याप्त रूप से निर्धारित किया गया है। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप कर परिणामों को दर्शाती है जो उस तरीके से होगी जिसमें कंपनी संसूचन की तिथि को अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहनीय राशि की वसूली करने अथवा उसका निपटान करने की आशा करती है।

21.2.3 आस्थगित कर की पहचान उस सीमा को छोड़कर लाभ और हानि विवरण में की जाती है जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से पहचान की गई मदों से संबंधित हैं, जिस मामले में इसकी पहचान अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में की गई है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब

प्रतिसंतुलित किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हों और जब आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देनदारियों उसी कराधान प्राधिकार द्वारा या तो कर योग्य कंपनी अथवा अलग-अलग कर योग्य कंपनियों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां निवल आधार पर शेष राशि का भुगतान करने का उद्देश्य हो।

वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर, भावी वर्षों में वर्तमान कर का हिस्सा बनने और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की गणना को प्रभावित करने की सीमा तक, सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ गणना का एक तत्व नियामक आस्थगित खाता शेष में डेबिट/क्रेडिट किया जाता है।

21.2.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत के कर कानूनों के अनुसार चुकाया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जिससे भावी आयकर देनदारी के विरुद्ध सेट-ऑफ की उपलब्धता के रूप में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को बैलेंस शीट में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके और यह संभावना हो कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

21.2.5 जब आयकर उपायों के संबंध में अनिश्चितता हो, तब कंपनी इस बात का आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकारी से यह संभावना है कि अनिश्चित कर उपाय को स्वीकार करें। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कर प्राधिकारी द्वारा अनिश्चित कर उपाय स्वीकार करने की संभावना नहीं है तब कर योग्य आय, कर आधारों और अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के संबंध में अनिश्चितता के प्रभाव की पहचान की जाती है। अनिश्चितता के प्रभाव की पहचान उस पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाते होंय सबसे अधिक संभावना वाले परिणाम अथवा प्रत्याशित मूल्य। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसे प्रत्येक अनिश्चित कर उपाय को पृथक रूप से माना जाए अथवा उस दृष्टिकोण के आधार पर एक अन्य अथवा अनेक अन्य अनिश्चित कर उपायों के साथ माना जाए जो 'अनिश्चितता के निवारण' को पहले से ही तय करे।

22. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक पद्धति 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है। नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकद राशि और नकद राशि के समतुल्य में हस्तगत नकद, वित्तीय संस्थानों से अत्यधिक कम अवधि के लिए ऋण के लिए आधारित जमा राशि, अन्य अल्पावधिक, अत्यधिक परिसमाप्य निवेश, जिसमें तीन महीने अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता अवधियों, जो ज्ञात नकद राशि के लिए सहजता से परिवर्तनीय हो और जो मूल्य तथा बैंक ओवरड्राफ्ट में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अध्यधीन हो, शामिल हैं। तथापि, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों में उधार राशि के भीतर दर्शाया जाता है।

23. वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण-

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

23.1 परिसंपत्ति का वर्गीकरण वर्तमान के रूप में किया जाता है जबः

- इस बात की आशा हो कि प्राप्त कर लिया जाएगा अथवा वर्तमान प्रचालन चक्र में बेचे जाने अथवा खपत किए जाने का उद्देश्य है
- व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारित
- संसूचन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त किए जाने का आशा हो, अथवा

- नकद राशि अथवा नकद राशि के समतुल्य, यदि उसे संसूचन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देनदारियों का निपटान करने हेतु विनिमय किए जाने अथवा उसका उपयोग किए जाने से प्रतिबंधित किया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों का वर्गीकरण गैर-वर्तमान के रूप में किया जाता है।

23.2 देनदारी का वर्गीकरण वर्तमान के रूप में किया जाता है जबः

- इसे सामान्य प्रचालन चक्र में निपटारा किए जाने की आशा हो
- व्यापार के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारित
- संसूचन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटान किए जाने के लिए देय हो, अथवा
- संसूचन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए इस देनदारी के निपटान को विलंबित करने के लिए बिना शर्त कोई अधिकार नहीं रखता हो।

अन्य सभी देनदारियों का वर्गीकरण गैर-वर्तमान के रूप में किया जाता है।

23.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण गैर-वर्तमान के रूप में किया जाता है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित खाता शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाते हैं।

24.3 प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि को विनियामक आस्थगित खाता शेषों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अंतर्निहित गतिविधियाँ मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि कंपनी को ऐसी शेष राशियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो विनियामक आस्थगित खाता शेषों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

25. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का परिकलन कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य निवल लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्युटेड आय को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य निवल लाभ अथवा हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय तय करने के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी डाइल्युटेड संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद जारी किए जा सकते थे, से भी विभाजित किया जाता है।

इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से डाइल्युटेड इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए किसी भी बोनस शेयर के लिए प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल और डायल्यूटेड आय की गणना भी विनियामक आस्थगित खाता शेष में उतार-चढ़ाव को छोड़कर आय राशि का उपयोग करके की जाती है।

26. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतानयोग्य लाभांश और अंतरिम लाभांश की पहचान उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में की जाती है जिसमें उनका अनुमोदन संबंधित शेयरधारकों और निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

27. प्रचालन खंड

इंड एएस 108 के अनुसार, खंड संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों को कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंडों के संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर चिन्हित किया जाता है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एएस 108 के अर्थ में कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता' या 'सीओडीएम' है। आंतरिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संकेतक, लागू किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे तौर पर उस खंड से संबंधित मदों के साथ-साथ वे मदें भी शामिल होती हैं जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर-आवंटित मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय और कारपोरेट आय शामिल होती हैं।

खंडों से प्रत्यक्षतः संबंधित राजस्व को खंड राजस्व माना जाता है। खंडों से प्रत्यक्षतः संबंधित व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय माना जाता है।
खंड पूंजीगत व्यय, अवधि के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, तथा सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए वहन की गई कुल लागत है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियाँ, व्यापार और अन्य प्राप्य, इंवेंटरी और अन्य परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें प्रत्यक्षतः या उचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित खंडों से संबंधित प्रचालनों के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों में आवंटित किया गया है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियाँ, पूँजीगत प्रगतिरत कार्य, पूँजीगत अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियाँ और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंडीय देनदारियों में उस खंड से संबंधित सभी प्रचालन देनदारियाँ शामिल होती हैं और इनमें मुख्यतः व्यापार और अन्य देय राशियाँ, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंडीय देनदारियों में इक्विटी, आयकर देनदारियाँ, ऋण और उधारियां तथा अन्य देनदारियाँ और प्रावधान शामिल नहीं होते हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता।

विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। इंड एएस-108-'प्रचालन खंड'-के अनुसार, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट योग्य खंड नहीं हैं।

28 . विविध

समान मदों के प्रत्येक वास्तविक वर्ग को वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति अथवा कार्य की मदों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है यदि वे वास्तविक न हों।

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : यू35101यूटी2023Gजीओआई016550

नोट :– 2

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियाँ										
1. भूमि फ्री होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. भवन अस्थायी संरचनाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. जल निकासी, सीवरेज एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईडीपी मशीनें	-	8.97	-	8.97	-	2.29	0.22	2.51	6.45	-
10. विद्युत संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	2.62	7.26	0.20	10.08	0.03	1.23	0.19	1.44	8.64	2.59
13. फर्नीचर एवं फिक्सचर	4.94	8.61	(0.20)	13.35	0.05	1.06	0.04	1.14	12.21	4.89
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक कार्य – बांध एवं स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	**7.56**	**24.84**	**-**	**32.40**	**0.07**	**4.58**	**0.45**	**5.10**	**27.31**	**7.49**
पिछली अवधि के आंकड़े	-	7.56	-	7.56	-	0.07	-	0.07	7.49	-
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछली अवधि के आंकड़े										
ग. उपयोगाधिकार परिसंपत्ति										
उपयोगाधिकार – भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पयोगाधिकार – भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोगाधिकार – वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछली अवधि के आंकड़े	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास के ब्यौरे					वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष			
ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास					4.58		0.07			
लाभ/हानि के विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					-		-			

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : यू35101यूटी2023Gजीओआई016550

नोट :- 2

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियाँ										
1. भूमि फ्री होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. जलमग्न भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. भवन अस्थायी संरचनाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सड़क, पुल एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. जल निकासी, सीवरेज एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ईडीपी मशीनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. विद्युत संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पारेषण लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	-	2.62	-	2.62	-	0.03	-	0.03	2.59	-
13. फर्नीचर एवं फिक्स्चर	-	4.94	-	4.94	-	0.05	-	0.05	4.89	-
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हाइड्रोलिक कार्य – बांध एवं स्पिलवे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. हाइड्रोलिक कार्य–सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	**-**	**7.56**	**-**	**7.56**	**-**	**0.07**	**-**	**0.07**	**7.49**	**-**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. उपयोगाधिकार परिसंपत्ति										
उपयोगाधिकार – भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोगाधिकार – भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोगाधिकार – वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास के ब्यौरे					वर्तमान वर्ष		-			
ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास वर्ष के दौरान ₹1500.00 से अधिक लेकिन ₹5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियां पूर्ण रूपये से खरीदी और मूल्यह्रास की गई					0.07		-			

नोट– 3

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान वृद्धि	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन	अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. प्रगतिरत निर्माण कार्य											
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सड़कें, पुल एवं पुलिया		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल आपूर्ति, सीवरेज एवं जल निकासी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवे, जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट एवं अन्य हाइड्रोलिक कार्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत संस्थापना एवं सब-स्टेशन उपकरण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लंबित आवंटन हेतु व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	3.10	180.03	489.06	-	-	669.09	-	180.03	-	-	180.03
पुनर्वास											
पुनर्वास व्यय		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		180.03	489.06	-	-	669.09	-	180.03	-	-	180.03
पूर्व अवधि के आंकड़े		0.00	180.03	-	-	180.03	-	-	-	-	-

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : यू35101यूटी2023Gजीओआई016550

नोट :-3.1

निर्माण के दौरान व्यय

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	**13**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		253.01		134.04	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		56.48		18.54	
कल्याण		6.92		10.87	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		-	316.40	-	163.45
अन्य व्यय	**14**				
किराया					
कार्यालय का किराया		9.60		-	
कर्मचारी आवास का किराया		-	9.60	-	-
दर और कर			0.11		-
जल उपयोग शुल्क			-		-
विद्युत और ईंधन			0.49		-
बीमा			-		-
संचार			2.78		1.17
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		-		-	
भंडार और स्पेयर पार्ट्स की खपत		-		-	
भवन		0.45		0.33	
अन्य		0.91	1.36	0.74	1.08
यात्रा और परिवहन			3.82		4.21
वाहन किराया और चालन			7.42		-
प्रचार और जनसंपर्क			-		0.48
अन्य सामान्य व्यय			143.17		9.56
ब्याज अन्य			-		-
मूल्यह्रास	**2**		**4.58**		**0.07**
कुल व्यय (क)			**489.72**		**180.03**

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए	
प्राप्तियाँ					
अन्य आय	**12**				
ब्याज					
किराया प्राप्तियाँ			0.03		-
विविध प्राप्तियाँ			(0.00)		-
राइट बैक किया गया अतिरिक्त प्रावधान	"		0.63		-
कुल प्राप्तियाँ (ख)			**0.66**		-
कर पूर्व निवल व्यय			**489.06**		**180.03**
कर प्रावधान					
कर सहित निवल व्यय			489.06		180.03
ओसीआई के माध्यम से एक्चुरियल लाभ/(हानि)			-		-
विगत वर्ष से अग्रेषित शेष			180.03		-
कुल ईडीसी			**669.09**		**180.03**
घटाएँ:-					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्तियों को आवंटित ईडीसी		-		-	
लाभ-हानि खाते में प्रभारित अनुमोदनाधीन					
परियोजनाओं का ईडीसी		-	-	-	-
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष राशि			**669.09**		**180.03**

नोटः- 4

आस्थगित कर परिसंपत्ति

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			24.29		14.59
कुल			**24.29**		**14.59**

नोटः- 5

नकद और नकद समतुल्य

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद समतुल्य					
बैंकों में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)			518.78		1,000.25
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट			-		-
कुल			**518.78**		**1,000.25**

नोटः- 6

वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			5.49		-
कुल			**5.49**		**-**

नोटः- 7

शेयर पूंजी

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत					
10/- रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर		50000000	5,000.00	50000000	5,000.00
जारी, अभिदत्त और चुकता		10000000	1,000.00	10000000	1,000.00
10/- रुपए प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर					
कुल		**10000000**	**1,000.00**	**10000000**	**1,000.00**

नोटः- 7.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का विवरण

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5% से अधिक शेयरधारिता					
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		7400000	74.00%	7400000	74.00%
यूजेवीएनएल लिमिटेड		2600000	26.00%	2600000	26.00%
कुल		**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

नोटः- 7.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		10000000	1,000.00	-	-
जारी		-	-	10000000	1,000.00
समापन		**10000000**	**1,000.00**	**10,000,000**	**1,000.00**

नोटः- 7.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		
		शेयरों की संख्या (प्रारंभिक)	%	शेयरों की संख्या (समापन)	%	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड		7400000	74.00%	7400000	74.00%	0.00%
यूजेवीएनएल लिमिटेड		2600000	26.00%	2600000	26.00%	0.00%
कुल		**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**	

नोटः- 8

प्रमोटरों की शेयरधारिता

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आवंटन विलंबन पर शेयर आवेदन राशि,			-		-
प्रतिधारित आय			(69.12)		(49.55)
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि			-		-
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि			-		-
कुल			**(69.12)**		**(49.55)**

नोटः- 9

वर्तमान- वित्तीय देनदारियाँ- अन्य

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देनदारियां					
व्यय के लिए					
अन्य के लिए		307.26	307.26	248.61	248.61
जमा, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि आदि।		1.32		0.25	
घटाएँः उचित मूल्य समायोजन-					
प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		-	1.32	-	0.25
स्थगित उचित मूल्यांकन लाभ-सुरक्षा					
जमा/प्रतिधारण राशि			-		-
अन्य देनदारियां			0.01		1.62
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
कुल		**308.59**		**250.47**	

नोटः- 10

अन्य वर्तमान देनदारियां

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देनदारियां					
मूल्यह्रास के निमित्त अग्रिम के					
कारण आस्थगित राजस्व			-		-
अन्य देनदारियां			5.48		0.15
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई क्षेत्र के					
लिए प्राप्त अंशदान		-		-	
घटाएँ:-		-		-	
मूल्यह्रास के लिए समायोजन		-	-	-	-
कुल			**5.48**		**0.15**

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : यू35101यूटी2023Gजीओआई016550

नोटः- 11

वर्तमान प्रावधान

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
कार्य		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्मचारी संबंधित		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्यस्थता अवार्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य		1.28	-	-	1.28	-	-	1.28	-	-	1.28
कुल		**1.28**	**-**	**-**	**1.28**	**-**	**-**	**1.28**	**-**	**-**	**1.28**
पूर्व अवधि के आंकड़े		-	1.28	-	-	1.28	-	-	-	-	-

नोटः- 12

अन्य आय

रुपए लाख में

विवरण	**नोट सं.**	**31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए**		**31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए**	
ब्याज					
वैंक जमा पर (रु. 549048.00 का टीडीएस शामिल है पूर्व अवधि रु. 0.00)		54.91		-	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम - प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		-		-	
अन्य		-	54.91	-	-
किराया प्राप्तियां			0.03		-
विविध प्राप्तियां			(0.00)		-
राइट बैक किया गया अतिरिक्त प्रावधान			0.63		-
उचित मूल्य लाभ - प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			-		-
कुल		**55.57**		**-**	
घटाएंः ईडीसी को अंतरित	3.1		0.66		-
कुल			**54.91**		**-**

नोटः- 13

कर्मचारी लाभ व्यय

रुपए लाख में

विवरण	**नोट सं.**	**31 मार्च 2025 तक की समाप्ति अवधि के लिए**		**31 मार्च 2024 तक की समाप्ति अवधि के लिए**	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			335.42		156.30
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान			56.48		18.54
कल्याण व्यय			6.92		10.87
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			-		-
			-		-
कुल			**398.81**		**185.71**
घटाएंः ईडीसी को अंतरित	3.1		316.40		163.45
कुल			**82.41**		**22.26**

नोटः- 14

उत्पादन प्रशासन एवं अन्य व्यय

रुपए लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2025 तक की समाप्ति अवधि के लिए		31 मार्च 2024 तक की समाप्ति अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय का किराया		9.60	-		
कर्मचारियों के आवास का किराया		-	9.60	-	-
दर और कर			0.11	-	
जल उपयोग शुल्क			-		-
विद्युत और ईंधन			0.49		-
बीमा			-		-
संचार			2.78		1.17
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी			-		-
भंडार और स्पेयर पार्ट्स की खपत			-		-
भवन		0.45		0.33	
अन्य		0.91	1.36	0.74	1.08
यात्रा और परिवहन			3.82		4.21
वाहन किराया और चालन			7.42		-
प्रचार और जनसंपर्क			-		0.48
अन्य सामान्य व्यय			143.17		9.56
लेखा परीक्षकों को भुगतान			1.77		1.77
राइट ऑफ किए गए प्रारंभिक व्यय			-		40.11
कुल			**170.51**		**58.38**
घटाएंः-					
कोयला इंवेंटरी को आबंटित			-		-
ईडीसी को अंतरित	3.1		168.74		16.50
कुल			**1.77**		**41.88**

15. वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण।

इंड एएस 107 वित्तीय साधनों पर लागू होता है। वित्तीय साधन की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। नीचे इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रभावित करने वाले वित्तीय साधनों से उत्पन्न जोखिमों की वास्तविकता और सीमा को स्पष्ट किया गया है और यह भी बताया गया है कि कंपनी इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे करती है ।

(i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाती, जिसके फलस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी को बैंक में जमा राशि से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण कंपनी अस्वीकार्य हानि उठाए बिना अपनी वर्तमान और भावी नकद और पार्श्विक बाध्यताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (कम करना)

क्रेडिट जोखिम

कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड, बाजार प्रतिष्ठा का आकार और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित बैंक का चयन करती है जिसके साथ शेष और जमा अनुरक्षित किया जाता है।

तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य देय होने पर बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकद उपलब्धता बनाए रखने से है।

16. खाते से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक नोट :

1.पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि, यदि कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें आर एंड आर और पर्यावरण मांगें शामिल हैं (अग्रिमों का निवल) वर्तमान वर्ष ₹212.76 लाख (पूर्व वर्ष ₹360.77 लाख) है।

2. आकस्मिक देनदारियां- शून्य

3. इंड एएस-24 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के अंतर्गत प्रकटीकरण :-

(क) संबंधित पक्षों की सूचीः

(i) मूलः

कंपनी / इकाई का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	भारत
यूजेवीएन लिमिटेड	भारत
एनटीपीसी लिमिटेड (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की मूल कंपनी)	भारत

(ii) कार्यात्मक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

क्रम सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1.	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष	01.12.2023 से
2.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	नामित निदेशक	01.12.2023 से
3.	श्री सिपन कुमार गर्ग	नामित निदेशक	06.09.2024 से
4.	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	नामित निदेशक	01.12.2023 से
5.	श्री संदीप सिंघल	नामित निदेशक	01.12.2023 से
6.	श्री सुरेश चंद्र बलूनी	नामित निदेशक	01.12.2023 से
7.	श्री संदीप कुमार	सीईओ	14.12.2023 से
8.	श्री ए.पी. बाजपेयी	सीएफओ	14.12.2023 से 06.08.2024 तक
9.	श्री एस.के. मोहंती	सीएफओ	07.08.2024 से
10.	सुश्री साक्षी नेगी	कंपनी सचिव	14.12.2023 से

(iii) **कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनियां**

कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसके द्वारा अधिकांश शेयर धारित हैं। भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसरण में, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव हो, तो रिपोर्टिंग कंपनी और अन्य कंपनियों को संबंधित पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का अनुप्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

नाम और सरकार के साथ संबंध की प्रकृति

क्रम. सं.	संबंधित पक्षों का नाम	संबंध की प्रकृति
1.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी (74.00%)
2.	यूजेवीएन लिमिटेड	शेयरधारक (26.00%)
3.	एनटीपीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की मूल कंपनी

(I) **संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निम्नानुसार हैं:**

कंपनी/पार्टी का नाम	कंपनी द्वारा लेन-देन की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	प्रारंभिक इक्विटी अंशदान	-	740.00
यूजेवीएन लिमिटेड	प्रारंभिक इक्विटी अंशदान	-	260.00
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	पीपीई के अधिग्रहण के कारण देय राशि	-	7.56
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	कर्मचारी लाभों अर्थात मूल वेतन, डीए, भत्ते और सीपीएफ, जीएसएलआई, पेंशन आदि जैसी वैधानिक देय राशि की प्रतिपूर्ति।	-	185.71
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	वेतन से सीपीएफ, जीएसएलआई, ऋण, वैधानिक देय राशियों आदि की वसूली और अन्य कर्मचारी संबंधी मामले	74.16	-
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	अन्य, जिसमें प्रारंभिक व्यय, प्रतिभूति, परामर्श, आर एंड एम आदि शामिल हैं।	-	55.33
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	मुद्रण और स्टेशनरी	0.22	-

(ii) मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ लेन-देन :

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.3.2025 को समाप्त वर्ष	31.3.2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	82.41	22.22
2	सेवानिवृत्ति के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	-	-
3	समाप्ति लाभ	-	-
4	शेयर-आधारित भुगतान	-	-
	कुल	82.41	22.22

(iii) संबंधित पक्षों से बकाया शेष राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.3.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
देय राशिः		
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को	273.77	248.60
यूजेवीएन लिमिटेड को	30.20	-

4. प्रति शेयर आय (ईपीएस)-बेसिक और डायल्यूटेड

प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड) की गणना के लिए विचारित तत्व निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
कर के बाद निवल लाभ (₹लाख)	(19.57)	(49.55)
मूल ईपीएस के लिए हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10000000	3333333
डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10000000	3333333
प्रति शेयर आय।		
-आधारभूत	(0.20)	(1.49)
-डायल्यूटेड	(0.20)	(1.49)
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ 10.00		

5. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 12 'आयकर' के अनुपालन में, ₹9.70 लाख (पिछले वर्ष ₹14.59 लाख) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹ लाख में)	मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	24.29	14.59
कुल	24.29	14.59

(₹ लाख में)

आस्थगित कर की गणना		31.03.2025
(क) मूल्यह्रास के कारण परिसंपत्ति	-	-
आईटी अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति का डब्ल्यूडीवी	-	-
बहियों के अनुसार अचल संपत्ति का डब्ल्यूडीवी	-	-

(₹ लाख में)

अंतर	-	-
(ख) प्रारंभिक व्यय के खाते में परिसंपत्ति		
भविष्य में कटौती योग्य स्वीकार्य प्रारंभिक व्यय	-	
(ग) भविष्य में स्वीकार्य अनवशोषित हानियाँ	93.41	
अस्थायी अंतर		93.41
अस्थायी अंतर की निवल राशि		93.41
कर की दर		26.00%
आस्थगित कर परिसंपत्ति		24.29

6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा यथा अपेक्षित 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी और उक्त बकाया 45 दिनों से कम है।

शून्य

7. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव

क्रम सं.	नीति संशोधन	प्रभाव / टिप्पणी
1.	नीति संख्या 18.6 सम्मिलित की गई है। फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण जहां कार्यकाल को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग से परिभाषित किया गया है, मूल्यह्रास परिसंपत्ति के कार्यकाल पर लगाया जाता है।	यह नीति बेहतर प्रकटीकरण के लिए जोड़ी गई है। इस प्रविष्टि के कारण, वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(₹ लाख में)

		2024-25	2023-24
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	1.77	1.77
II.	कराधान मामले (कर लेखा परीक्षा) के लिए	-	-
III.	कंपनी कानून मामले के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	-	
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	-

9. क) नकद प्रवाह विवरण और बैलेंस शीट के बीच नकद और नकद समतुल्यों का मिलान निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2025	31.03.2024
नकद और नकद समतुल्य	5	518.78	1000.25
जोड़ें: ग्रहणाधिकार के अंतर्गत बैंक शेष		-	-
घटाएँ: ओवर ड्राफ्ट बैलेंस		-	-
नकद प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समतुल्य		518.78	1000.25

ख) मार्च 2017 में, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम 2017 जारी किए, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 7 'नकद प्रवाह विवरण' में संशोधनों को अधिसूचित किया गया। ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल 2017 से लागू हैं और इनमें अतिरिक्त प्रकटीकरण शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएंगे, जिसमें नकद प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। इस प्रकार प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

(₹ लाख में)

वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह (2023-24)		प्रारंभिक	वर्तमान वर्ष	समापन	परिवर्तन	अभ्युक्तियां
जारी शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	2023 -24	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	टीएचडीसीआईएल से ₹740.00 लाख और यूजेवीएनएल से ₹260.00 लाख
जारी शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	2024 -25	1000.00	-	1000.00	-	टीएचडीसीआईएल से ₹740.00 लाख और यूजेवीएनएल से ₹260.00 लाख

10. इंड एएस 19 के प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण

चूंकि सभी कर्मचारी अपनी मूल कंपनी - टीएचडीसीआईएल से सेकंडमेंट आधार पर नियुक्त हैं, अतएव कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधाएँ, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और अन्य सेवांत लाभ शामिल हैं, जो मूल कंपनी की व्यवस्था के अनुसार हैं। कंपनी को अपनी मूल कंपनी के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं में एक निश्चित अंशदान करना होता है, जो इन निधियों का संबंधित ट्रस्टों के माध्यम से रखरखाव करती है। तदनुसार, इन कर्मचारी लाभों को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है।

11. अनुपात विश्लेषणः

(₹ लाख में)

क्रम. सं	विवरण	अंश	हर	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	% प्रसरण	प्रसरण का कारण
1	2	3	4		5	6	7
क	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.67	3.97	-57.93%	वर्तमान परिसंपत्ति म कमी और वर्तमान देनदारी में वृद्धि के कारण।

(₹ लाख में)

ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं		
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(कर पश्चात् निवल लाभ ऋण पर ब्याज+ मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि)	(ऋण पर ब्याज+ दीर्घकालिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान)	लागू नहीं	लागू नहीं		
घ	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद निवल हानि	औसत पणधारक की इक्विटी	-2.08%	-5.08%	-59.04%	हानि में कमी के कारण।
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	लागू नहीं	लागू नहीं		
च	देनदारों का टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व (निवल ऋण बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्य	लागू नहीं	लागू नहीं		
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीदारियां	औसत व्यापार देयताएं	लागू नहीं	लागू नहीं		
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं		
झ	निवल लाभ मार्जिन	करों के बाद निवल लाभ	कुल बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं		
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	-3.23%	-6.85%	-52.89%	हानि में कमी के कारण
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं		

12. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जब भी आवश्यक हुआ, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय किया जा सके।

13. इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

प्र.ह./–	**प्र.ह./–**	**प्र.ह./–**	**प्र.ह./–**
(साक्षी नेगी)	**(एस.के. मोहंती)**	**(संदीप कुमार)**	**(आर.के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	सी.ई.ओ.	अध्यक्ष
सदस्यता सं.62829			डीआईएनः 08534217

दिनांकः 16.05.2025
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 500112एन

प्र.ह./–
(सी.ए. अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. :-092048

दिनांकः 17.05.2025
स्थानः देहरादून

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने मेसर्स टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस समय समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। (इसके बाद 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित)।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा यथा संशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, (इंड एएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी के मामलों की स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व" खंड में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारा मत निर्मित करने के संदर्भ में ध्यान दिया गया था, और उन मामलों पर हमारा कोई भिन्न मत नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की सभावना है। वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत में अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया गया है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।

उपरोक्त बोर्ड रिपोर्ट को पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, तो हमें इस मामले को सुशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को संप्रेषित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और सुशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो मामलों की स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित इसकी धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की अन्य व्यापक आय, इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन शामिल हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हो, जो एक सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हों और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हों।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन, जहाँ लागू हो, चल रही कंपनी से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करते हुए और लेखांकन के चल रही कंपनी के आधार का उपयोग करते हुए, कंपनी की एक चल रही कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो। निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से

मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा सदैव किसी विद्यमान महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगा। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि उनसे अपेक्षा की जा सकती हो कि वे, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों को चिन्हित और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले मिथ्याकथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा चल रही कंपनी के आधार का उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चल रही कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपना मत संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी एक चल रही कंपनी के रूप में जारी नहीं रह सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथन का महत्व उसका परिमाण है जो, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, यह संभावना उत्पन्न करता है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणों में चिन्हित किए गए किसी भी मिथ्याकथन के प्रभाव

का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम सुशासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित करते हैं।

हम सुशासन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, प्रयोज्य सीमा तक, **अनुबंध 'क'** में विवरण देते हैं।

2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निदेशों/उप-निदेशों द्वारा यथा अपेक्षित, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों पर **अनुबंध 'ख'** में रिपोर्ट दे रहे हैं।

3) अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित थे।

(ख) हमारे मत में, जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारे मत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप हैं।

(ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (अ) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के (च) हमारी जाँच, जिसमें परीक्षण जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह पूरी अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **'अनुबंध ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें ; और

(ज) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है; और

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :-

i) कंपनी पर कोई ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़े।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश भुगतान/ घोषणा नहीं की है।

कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 500112एन

(अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 092048

स्थानः देहरादून
दिनांकः 17.05.2025
यूडीआईएनः 25092048बीएमजेआईटीए7939

अनुबंध–"क"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसीआईएल –यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के शीर्षक 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित **अनुबंध 'क'।**

1. (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किया है। इस अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं थी।

   (ख) प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारे मत में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। बहीखातों और भौतिक अभिलेखों के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

   (ग) इस अवधि के दौरान कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   (घ) कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

   (ङ) इस अवधि के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी की कोई इन्वेंट्री नहीं है। अतएव, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3. कंपनी ने किसी कंपनी, फर्म, सीमित देनदारी भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, या सुरक्षित या असुरक्षित, ऋण की प्रकृति का कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। अतएव, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4. कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है। अतएव, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं होते।

5. हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही, कंपनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी ल० अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

6. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण से संबंधित खंड लागू नहीं है, अतएव इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

7. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखा-बही और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य

बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशियों सहित अविवादित वैधानिक देय राशियाँ उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, देय कोई भी अविवादित राशि देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य कोई वैधानिक राशि बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं की गई हो।

8. कोई पूर्व अनभिलेखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में अवधि के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

9. कंपनी ने किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है। अतएव, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

10. (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे के सार्वजनिक निर्गम (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। अतएव, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। अतएव, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

11. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

(ग) लेखा परीक्षक को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतएव, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतएव, इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13. संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार ब्यौरे का वित्तीय विवरणों आदि में प्रकटन किया गया है।

14. कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए किसी वैधानिक बाध्यता के अधीन नहीं है। तथापि, कंपनी ने स्वैच्छिक रूप

से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा का विकल्प चुना है।

15. कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। अतएव, कंपनी पर इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होते।

16. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है। अतएव, कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित नहीं है।

17. कंपनी को वित्तीय वर्ष में 19.57 लाख रुपये और इसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 49.55 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।

18. वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। अतएव, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

19. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के काल-प्रभावन और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों से जुड़ी अन्य सूचनाओं, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में लेखा परीक्षक की जानकारी के आधार पर, हमारा मत है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक ऐसी कोई भी अनिश्चितता विद्यमान नहीं है जो यह दर्शाती हो कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है। तथापि, हमारा कथन है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

20. कंपनी पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतएव, इस धारा के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

21. कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। अतएव, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 500112एन

(अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 092048

स्थानः देहरादून
दिनांकः 17.05.2025
यूडीआईएनः 25092048बीएमजेआईटीए7939

अनुबंध-"ख"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अनुबंध खः वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए मेसर्स टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों को जारी किए जाने वाले निदेशों का उत्तर

क्र.सं.	निदेश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण को पुनर्संरचित किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कर्ज/ऋण/ब्याज आदि से छूट देन/बट्टे खाते में डालने का मामले हुए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो ये निदेश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कर्ज/ऋण/ब्याज आदि से छूट देने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	कार्यान्वित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्ति योग्य निधि (अनुदान/सब्सिडी आदि), यदि कोई हो, तो उसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/ उपयोग किया गया था।

कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 500112एन

(अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 092048

स्थानः देहरादून
दिनांकः 17.05.2025
यूडीआईएनः 25092048बीएमजेआईटीए7939

अनुबंध–''ग''

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार मेसर्स टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में मत व्यक्त करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण दुर्बलता के विद्यमान होने के जोखिम का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए

लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकार्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

मत

हमारे मत में, कंपनी की सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर किए गए थे।

कृतेः अंसुल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 500112एन

(अंसुल अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 092048

स्थानः देहरादून
दिनांकः 17.05.2025
यूडीआईएनः 25092048बीएमजेआईटीए7939

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

तिथि: 27.05.2024

सेवा में,

अध्यक्ष,
टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड,
देहरादून, उत्तराखंड ।

विषयः 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड के 2023–24 के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कम्पनी लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड के 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय
ह०
(संजय कु. झा)
महानिदेशक

संलग्नकः यथोपरि।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना मत व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी हैं। उनकी 17 मई 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(गुलजारी लाल)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.05.2025

नोट्स

नोट्स

THDCIL-UJVNL ENERGY COMPANY LIMITED
(CIN U35101UT2023GO1016550)
(A Joint Venture of THDC India Ltd. & UJVN Ltd.)
2nd Annual General Meeting
(24.09.2025)
Welcome To The Shareholders, Board Of Directors, And Auditors Of Our Company.
Key Highlights for 2024-25

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड

(टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं यूजेवीएन लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम)

THDCIL-UJVNL ENERGY COMPANY LIMITED

(A Joint Venture of THDC India Limited and UJVN Limited)

CIN: U35101UT2023GOI016550

पंजीकृत कार्यालय : 26 ईसी रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248001

Regd. Office : 26 EC Road, Dehradun, Uttarakhand-248001

speedways46@gmail.com